CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXVII, Thirteenth Session, 2017-2018/1939 (Saka) No. 7, Wednesday, December 27, 2017/Pausha 06, 1939 (Saka)

S U B J E C T	PAGES
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 121	14-21
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 122 to 140	22-74
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	75-544

 $^{^*}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPE	RS LAID ON THE TABLE	546-575
MESS.	AGE FROM RAJYA SABHA	576
	IESS ADVISORY COMMITTEE 48 th Report	577
AND F	DING COMMITTEE ON CHEMICALS FERTILIZERS Action taken Statements	577-578
STATI	EMENTS BY MINISTERS	
(i)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 202 nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region	579
(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 90 th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pensions on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	580
(c)	Status of implementation of the recommendations contained in the 298 th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Space	
	Dr. Jitendra Singh	581

(ii) (a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 37 th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications	582
(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 38 th Report of the Standing Committee on Information Technology on "Issues related to quality of services and reported call drops", pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications	
	Dr. Manoj Sinha	582
(iii)	Status of implementation of the recommendations contained in the 199 th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 197 th Report of the Committee on Demands for Grants (2016- 17), pertaining to the Ministry of Home Affairs	
	Shri Arjun Ram Meghwal	583
(iv)	Status of implementation of the recommendations contained in the 81 st Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Role of Ministry of Law and Justice in Framing/Approving the provisions of International Covenants/ Multilateral/Treaties or Agreement', pertaining to the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice	
	Shri P.P. Chaudhary	584

LOK	ION RE: APPOINTMENT OF MEMBERS OF SABHATO THE JOINT COMMITTEE ON FINANCIAL RESOLUTION AND DEPOSITS	
	RANCE BILL, 2017	585
ELEC	CTION TO COMMITTEE Coir Board	586
SUBN	MISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re	: Martyrdom day of two sons of Guru Govind Singh	587-589
(ii) Re	e: Ill treatment by Pakistani officials to wife and mother of Shri Kulbhushan Jadhav during their meeting at Islamabad	589-593
(iii) R	e: Need to establish a separate High Court for Telangana	632-633 671
MAT	TERS UNDER RULE 377	594-626
(i)	Need to improve railway services in Janjgir-Champa Parliamentary Constituency, Chhattisgarh	
	Shrimati Kamla Paatle	595
(ii)	Need to confer Padma Vibhushan award on K.D. Jadhav, India"s first individual Olympic medal winner	
	Shri Ramdas C. Tadas	596
(iii)	Need to introduce direct trains from Padrauna, district Kushinagar (Uttar Pradesh) to Lucknow, Delhi, Maharashtra and Gujarat	
	Shri Rajesh Pandey	597

(iv)	Need to review the decision to relocate retired Kashmiri migrant Central Government employees in Delhi/NCR	
	Shri Pravesh Sahib Singh Verma	598-599
(v)	Need to release funds for setting up Meditech Park in Sanand, Gujarat	
	Shrimati Jayshreeben Patel	600
(vi)	Need to reintroduce old pension scheme	
	Shrimati Anju Bala	601
(vii)	Need to establish a world-class Institute of Management in Dhanbad, Jharkhand.	
	Shri Pashupati Nath Singh	602
(viii)	Need to provide stoppage of New Delhi - Ranchi Rajdhani Train at Hazaribagh Road Railway Station in Giridih district, Jharkhand	
	Dr. Ravindra Kumar Ray	603
(ix)	Need to provide stoppage of various trains running on Maksi-Ruthiyai railway section at railway stations under Rajgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh	
	Shri Rodmal Nagar	604
(x)	Need to stop 'Anna Pratha' causing huge damage to standing crops in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Bhanu Pratap Singh Verma	605
(xi)	Need to withdraw the decision of disinvestment of Central Public Sector Enterprises	
	Shri George Baker	606-607

(xii)	Need to enhance the honorarium of cooks engaged under mid-day meal scheme in primary schools in Uttar Pradesh	
	Shri Kanwar Singh Tanwar	608
(xiii)	Need to expedite construction of dam on river Suara in Kaimur district, Bihar	
	Shri Chhedi Paswan	609
(xiv)	Need to include Apollo Hospital in Bilaspur, Chhattisgarh in the panel of hospitals for availing medical facilities meant for Prime Minister National Relief Fund beneficiaries	
	Shri Lakhan Lal Sahu	610
(xv)	Need for strict periodical maintenance and repair of railway infrastructure	
	Shri Mullappally Ramachandran	611
(xvi)	Need to allocate funds for construction of outer bunds to Padasekharamas in Kuttanadu in Kerala	
	Shri Kodikunnil Suresh	612
(xvii)	Need to provide rural road connectivity under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to the unconnected rural and tribal habitations of Kallakurichi Constituency in Tamil Nadu	
	Dr. K. Kamaraj	613
(xviii)	Need to put in place robust system to deal with cyclone	
	Dr. J. Jayavardhan	614

(xix)	Regarding condition of dispensaries under Central Government Health Scheme in West Bengal	
	Dr. Ratna De (Nag)	615
(xx)	Need to start construction of railway extension project from Hasnabad to Shamshernagar in North 24 Parganas district of West Bengal	
	Shri Idris Ali	616
(xxi)	Need to dissuade Chhattisgarh Government from constructing dams and barrages on river Mahanadi	
	Dr. Kulmani Samal	617
(xxii)	Need to set up an All India Radio Station in Latur Parliamentary Constituency, Maharashtra	
	Dr. Sunil Baliram Gaikwad	618
(xxiii)	Need to release adequate funds for establishment of Agriculture University in Guntur, Andhra Pradesh	
	Shri M. Murli Mohan	619-620
(xxiv)	Need to strengthen road safety measures	
	Shri A. P. Jithender Reddy	621
(xxv)	Need to review the decision to privatise Dredging Corporation of India	
	Shrimati Kothapalli Geetha	622-623
(xxvi)	Need to provide compensation to victims of cyclone 'Ockhi' in Lakshadweep	
	Mohammed Faizal	624

(xxvii)	Need to ensure remunerative price to potato farmers	
	Shri Tej Pratap Singh Yadav	625
(xxviii)	Need to recognise Lingayat religious tradition as a separate religion	
	Shri Raju Shetty	627-631
_	FICATION BY MEMBER Alleged denigration of Constitution by	
	ne members of ruling party	672-676
	ATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI	
	(SPECIAL PROVISIONS) SECOND NDMENT) BILL, 2017	634-670
Motion	to Consider	634
Shri Har	rdeep Singh Puri	634, 664-668
Shrimati	Meenakashi Lekhi	634-642
Shri Rar	mesh Bidhuri	643-648
Shri Nag	gendra Kumar Pradhan	649-650
Shri Par	vesh Sahib Singh Verma	651-654
Prof. Sa	ugata Roy	655-656
Shri Kau	ıshalendra Kumar	657-658
Shri Dus	shyant Chautala	659-661
Shri Jai	Prakash Narayan Yadav	662
Shri Mo	hammad Salim	663
Clauses	2 to 6 and 1	669-670
Motion 1	to Pass	670

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL	COF
GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION	OTO
STATES) ORDINANCE, 2017 (Ordinance No. 5 of	2017)
AND	
GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION	
STATES) AMENDMENT BILL, 2017	677-731
Motion to Consider	677-684
Shri Arun Jaitley	677, 729-730
Shri N. K. Premachandran	677-684
Shri Nishikant Dubey	685-695
Shri T. G. Venkatesh Babu	696-699
Shri Bhartruhari Mahtab	700-705
Shri Arvind Sawant	706-707
Shrimati Kavitha Kalvakuntla	708-710
Dr. Ravindra Babu	711-712
Shrimati Supriya Sule	713-714
Shri Prem Singh Chandumajra	715-716
Shri C. N. Jayadevan	717-718
Shri Bhagwant Mann	719-720
Shri Dushyant Chautala	721-722
Shri Varaprasad Rao Velagapalli	723-724
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	725-726
Shri P. Karunakaran	727
Shri Kaushalendra Kumar	728
Statuatory Resolution - Negatived	730
Clauses 2, 3 and 1	730
Motion to Pass	731

ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	732
Member-wise Index to Unstarred Questions	733-738
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	739
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	740

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 27, 2017/Pausha 06, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी क्वैश्चन ऑवर होगा, बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You may raise your issues after the Question Hour.

... (Interruptions)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, we have given notice for Adjournment Motion on High Court... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नंबर 121.

श्रीमती संतोष अहलावत।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हमारी रिक्वैस्ट है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, this is very important... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: मैंने मना नहीं किया है।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Now Question Hour, Question No. 121, Shrimati Santosh Ahlawat.

(Q. 121)

श्रीमती संतोष अहलावत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय योजना मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन भारत सरकार के उन फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य अग्रणी हस्तियों को इस अभियान से जोड़ना है, जो अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगां ...(व्यवधान)

11.02 hrs

(At this stage, Shri B. Vinod Kumar, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

राव इंद्रजीत सिंह: अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार का एक प्रोग्राम है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पुराने जमाने से अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ आ रहा था, उसके अंदर परिवर्तन करने का यह प्रयास है कि जो बच्चे नदी, नाले, पहाड़ पार करके 15-20 किलो का वजन अपनी पीठ के ऊपर बस्तों में ढोकर स्कूल में थके हुए पहुंचते हैं कि उनका दिमाग इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। ... (व्यवधान) उसके अंदर परिवर्तन लाने के लिए और देश के लिए क्या फायदा हो सकता है, इस हिसाब से सोचा गया था। ... (व्यवधान) स्कूलों के अंदर छठी जमात से लेकर बारहवीं जमात के अन्दर, हर प्रान्त के अन्दर, तकरीबन हर जिले के अन्दर अटल टिंकरिंग लेब इस अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से लगाई गई हैं।... (व्यवधान) इनका यही प्रयास है कि बच्चे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इनोवेशन की तरफ बढ़ें और ऐसी इनोवेशन करें, जिससे कि देश का लाभ हो।... (व्यवधान) यह देश के लाभ के लिए अटल इनोवेशन के माध्यम से अटल टिंकरिंग लेब्स लगाई गई हैं। ... (व्यवधान) आने वाले समय के अन्दर में समझता हूं कि इसके माध्यम से देश का अच्छा-खासा फायदा होगा। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not now, raise it during 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

राव इंद्रजीत सिंह: इस अटल इनोवेशन मिशन के अन्दर अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या कुल-मिलाकर 2,441 हो गई है। ... (व्यवधान) सिर्फ लक्षद्वीप और दमन और दीव को छोड़ करके सभी प्रान्तों के अन्दर

और बाकी सभी यूनियन टेरेटरीज के अन्दर आज के दिन स्कूल तय कर दिए गए हैं और वहां यह सुचारू रूप से चालू हो रहा है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you in the Zero Hour; not now.

... (*Interruptions*)

श्रीमती संतोष अहलावत: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मेरे मित्रों के शोर-शराबे के कारण मंत्री जी का जवाब मेरे पास भलीभांति नहीं पहुंच पाया है। ...(व्यवधान) राजस्थान के झुन्झुनू और सीकर जिले सहित वहां ऐसे कितने लैब्स की स्थापना हुई है, क्या इसका विस्तार करने की भी योजना बनी है।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदया, आज से एक सप्ताह पहले तक राजस्थान में 23 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने हेतु स्कूलों का चयन किया जा चुका है ...(व्यवधान)। 25 दिसम्बर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में 1500 स्कूल और जोड़े गए हैं। ...(व्यवधान) आज के दिन कुल मिलाकर राजस्थान में कुल 92 अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित करने हेतु स्कूलों का चयन हुआ है । ...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में विस्तृत उत्तर दिया है। ... (व्यवधान) मैं नीति आयोग, माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि बच्चों की योग्यता विशेष के लिए एटीएल के माध्यम से अभियान चलाया गया है।

इसमें विद्यालयों की चयन की प्रक्रिया क्या है? ...(व्यवधान) सीकर जिले में केवल एक विद्यालय का चयन हुआ है, वह बिल्कुल एक कोने में स्थित है। ...(व्यवधान) वह सीकर जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या केन्द्रीय विद्यालय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? ...(व्यवधान) इसमें मेंटर चयन की प्रक्रिया क्या हैं। इसमें एक शब्द 'लीडर' का प्रयोग हुआ है। इसका अभिप्राय क्या हैं? ...(व्यवधान)। सांसद, एमएलए या जनप्रतिनिधि, जो इस विषय में स्पेशिलस्ट हैं, इस विषय का लीडरिशप करते हैं क्या उनका उपयोग किया जाएगा? विद्यालयों की चयन प्रक्रिया का क्या तरीका हैं? क्या और विद्यालय इसमें जोड़े जा सकते हैं ...(व्यवधान) क्योंकि सीकर में मात्र एक विद्यालय का चयन हुआ है जबिक एजुकेशन हब है। ...(व्यवधान) इसके लिए आवेदन का क्या प्रारूप है।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदया, निष्पक्ष रूप से सलाह-मश्विरा प्रांतों से करने के उपरांत इसका सलैक्शन होता है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य सीकर जिले के बारे में पूछ रहे थे आज के दिन सीकर जिले में केवल एक ही चयन हो पाया है लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था ...(व्यवधान) इसके अलावा राजस्थान में 70 के करीब अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने हेतु 23 स्कूलों का चयन भी हो चुका है। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी हो, ...(व्यवधान) इसके लिए कम से कम 1500 स्कॉवयर फुट एरिया उपलब्ध कराना होता है। ...(व्यवधान) इसके अलावा और भी नार्म्स हैं, जिसे पूरा करना होता है, अगर वह कर देते हैं तो उसे हम चयन कर लेते हैं। अभी तक प्रांत के अंदर 92 का चयन हुआ है ...(व्यवधान) अगर इसमें विस्तार करना है तो इसका विस्तार भी हो सकता है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at twelve o'clock.

11.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष: मेरे पास स्थगन प्रस्ताव तो बहुत हैं, लेकिन मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को अलाऊ नहीं किया है क्योंकि ये मामले अन्य अवसरों पर उठाए जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

12.0 ½ hrs

(At this stage, Shri B. Vinod Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

12.01 hrs

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

...(व्यवधान)

12.01 ½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will now take up Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8053/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth (Development Planning Centre),
 Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth (Development Planning Centre), Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8054/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8055/16/17] ... (*Interruptions*)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(एक) के अंतर्गत 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, यूनिट एक और दो, परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में भारत के

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-संघ सरकार (2017 का संख्यांक 38) -(कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8056/16/17]

(2) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड और अंतरिक्ष विभाग के मध्य वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8057/16/17]

- (3) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक संस्थान, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय अंतिरक्ष विज्ञान और तकनीक संस्थान, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8058/16/17]

- (4) (एक) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8059/16/17]

- (5) (एक) नेशनल एटमास्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल एटमास्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8060/16/17]

- (6) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8061/16/17]

(7) (एक) नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8062/16/17]

- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
 - (दो) यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [Placed in Library, See No. LT 8063/16/17]
 - (ख) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
 - (दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबइके वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8064/16/17]

- (ग)(एक) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
 - (दो) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8065/16/17]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत मोबाइल साधन उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ का निवारण नियम, 2017 जो 28 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1068(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8066/16/17]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत कारबार के संव्यवहार के लिए भादूविप्रा अधिनियम की बैठकें (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 14 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-1/2017-समन्वय में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8067/16/17]

(3) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2017 जो 2 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1475 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8068/16/17] ... (*Interruptions*)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): माननीय अध्यक्ष जी, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 394 की उप-धारा (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8069/16/17]

- (2) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8070/16/17]

(3) (एक) एनडीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । (दो) एनडीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8071/16/17]

(4) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8072/16/17]

- (5) (एक) एमईसीओएन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एमईसीओएन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8073/16/17]

- (6) (एक) के आईओसीएस लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) केआईओसीएस लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8074/16/17]

- (7) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8075/16/17]

- (8) (एक) बिसरा चूना पत्थर कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) बिसरा चूना पत्थर कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8076/16/17]

- (9) (एक) ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8077/16/17]

27.12.2017 24

(10) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8078/16/17]

- (11) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8079/16/17]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हिरभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं.का.आ.2741(अ) जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "उर्वरक उत्पादन" को अंतिम उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 8080/16/17]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): Madam I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8081/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8082/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Railway Information Systems, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Railway Information Systems, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8083/16/17]

(3) A copy of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Second Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1060(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2017 under subsection (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 8084/16/17]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हुं:-

- (1) (एक) रिसर्च एंड इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रिसर्च एंड इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकर द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8085/16/17]

- (2) (एक) इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8086/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8087/16/17]

27.12.2017 27

(3) (एक) भारतीय हज समिति, मुंबई के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय हज समिति, मुंबई के वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8088/16/17]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI M.J. AKBAR): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the years 2014-2015 and 2015-2016.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the years 2014-2015 and 2015-2016, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the years 2014-2015 and 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8089/16/17]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf Shri Y.S. Chowdary, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8090/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8091/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharashtra Association for the Cultivation of Science,
 (Agharkar Research Institute), Pune, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharashtra Association for the Cultivation of Science, (Agharkar Research Institute), Pune, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8092/16/17]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vigyan Prasar, Noida, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vigyan Prasar, Noida, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8093/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8094/16/17]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bose Institute, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bose Institute, Kolkata, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8095/16/17]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Sciences, India, Allahabad, for the year

- 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Sciences, India, Allahabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8096/16/17]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aryabhatta Research Institute for Observational Sciences, Nainital, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aryabhatta Research Institute for Observational Sciences, Nainital, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8097/16/17]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Nano and Soft Matter Science, Begaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Nano and Soft Matter Science, Begaluru, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8098/16/17]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8099/16/17]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8100/16/17]

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8101/16/17]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8102/16/17]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8103/16/17]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8104/16/17]

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Raman Research Institute, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Raman Research Institute, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8105/16/17]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8106/16/17]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and

Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8107/16/17]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8108/16/17]

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Innovation Foundation-India, Ahmedabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Innovation Foundation-India, Ahmedabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8109/16/17]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

27.12.2017 34

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8110/16/17]

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions of the Indian National Science Academy, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Science Academy, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8111/16/17]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Academy of Sciences, Bengaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Academy of Sciences, Bengaluru, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8112/16/17]

- (24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Academy of Engineering, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Academy of Engineering, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8113/16/17]

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the

Institute of Life Sciences, Bhubaneswar, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Life Sciences, Bhubaneswar, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8114/16/17]

- (26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphal, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphal, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8115/16/17]

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8116/16/17]

- (28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Translational Health Science and Technology Institute, Gurgaon, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Translational Health Science and Technology Institute, Gurgaon, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8117/16/17]

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Immunology, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Immunology, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8118/16/17]

- (30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Agri-Food Biotechnology Institute, Mohali, for the year 2016-2017.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Agri-Food Biotechnology Institute, Mohali, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
 - (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Agri-Food Biotechnology Institute, Mohali, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8119/16/17]

- (31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre of Innovative and Applied Bioprocessing, Mohali, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre of Innovative and Applied Bioprocessing, Mohali, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8120/16/17]

(32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8121/16/17]

- (33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Plant Genome Research, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Plant Genome Research, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8122/16/17]

- (34) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Centre for Biotechnology, Gurgaon, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Centre for Biotechnology, Gurgaon, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8123/16/17]

- (35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Cell Science, Pune, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Cell Science, Pune, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8124/16/17]

(36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Brain Research Centre, Manesar, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Brain Research Centre, Manesar, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8125/16/17]

- (37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8126/16/17]

- (38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8127/16/17]

- (39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8128/16/17]

(40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8129/16/17]

- (41) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Research Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the National Research Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8130/16/17]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshahr, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshahr, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8131/16/17]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Indian Vaccines Corporation Limited, Gurgaon, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Indian Vaccines Corporation Limited, Gurgaon, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8132/16/17]

- (42) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 8133/16/17]

(ii) Memorandum of Understanding between the Biotechnology Industry Research Council and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 8134/16/17]

- (43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Biotechnology Industry Research Assistance Council, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Biotechnology Industry Research Assistance Council, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8135/16/17]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) of the Law Commission of India:-
 - (i) Report No. 266 The Advocates Act, 1961 (Regulation of Legal Profession), 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8136/16/17]

(ii) Report No. 267 – Hate Speech.

[Placed in Library, See No. LT 8137/16/17]

(iii) Report No. 268 –Amendments to Criminal Procedure Code, 1973–Provisions Relating to Bail-May, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8138/16/17]

(iv) Report No. 269 – Transportation and House-keeping of Egg-laying hens (layers) and Broiler Chickens-July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8139/16/17]

(v) Report No. 270 – Compulsory Registration of Marriages July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8140/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8141/16/17]

(3) A copy of the Notification No. O.N.78(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st November, 2017, making correction in Schedule XVIII (relating to the State of Manipur) to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 issued under Section 9(1)(a) of the Representation of the People Act, 1950 read with Section 11(1)(b) of the Delimitation Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 8142/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under su section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited,
 Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited
 Accounts and comments of the Comptroller and Auditor
 General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8143/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8144/16/17]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 347 of the Cantonments Act, 2006:-
 - (i) The Cantonments (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published in Notification No. S.R.O.6(E) in Gazette of India dated 3rd May, 2017.
 - (ii) The Cantonment Property Rules, 2017 published in Notification No.
 S.R.O.31(E) in Gazette of India dated 1st December, 2017.

(iii) The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017 published in Notification No. S.R.O.15(E) in Gazette of India dated 18th May, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8145/16/17]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the Constitution:-
 - (i) The Army Officers Pay (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.17(E) in Gazette of India dated 7th July, 2017.
 - (ii) The Air Force Officers Pay (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R. 18 (E) in Gazette of India dated 7th July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8146/16/17]

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 10th August, 2017 adopted the following Motion in regard to the Joint Committee on Offices of Profit (JCOP):-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect two Members of the Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancies to be caused by the retirements of Shri Dilipbhai Pandya and Shri Sukhendu Sekhar Roy from the Rajya Sabha on 18th August, 2017 and resolves that the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, two Members from amongst the Members of the House to the said Joint Committee, to fill the vacancies with effect from 19th August, 2017."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Manas Ranjan Bhunia and Shri Mahesh Poddar, Members, Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee.'

12.02 ½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 48th Report

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, I beg to present the Forty-eighth Report (Hindi and English versions) of the Business Advisory Committee.

... (Interruptions)

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICAL AND FERTILIZERS Action Taken Statements

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): माननीय अध्यक्ष जी, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्निलेखित की गई कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हं:-

- (1) "अनुदानों की मांगों- 2017-18" (उर्वरक विभाग) के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही उत्तर।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की "अनुदानों की मांगों- 2017-18" के बारे में सिमिति के 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी सिमिति (2016-17) के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही उत्तर।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की "अनुदानों की मांगों- 2017-18" के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों

पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही उत्तर।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के ''सिटी कंपोस्ट के संवर्धन संबंधी नीति का कार्यान्वयन'' विषय पर समिति (2016-17) के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही उत्तर।

... (Interruptions)

12.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 202nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam Speaker, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 202nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region.

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8147/16/17

_

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 90th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pensions on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam Speaker, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 90th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pensions on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

... (Interruptions)

-

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8148/16/17

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 298th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Space*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam Speaker, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 298th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Space.

... (*Interruptions*)

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8149/16/17

12.07 hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Information Technology on "Issues related to quality of services and reported call drops", pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Information Technology on "Issues related to quality of services and reported call drops", pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

... (Interruptions)

 * Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 8150/16/17 and 8151/16/17 respectively.

12.07 ½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 199th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 197th Report of the Committee on Demands for Grants (2016- 17), pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of my colleague, Shri Kiren Rijiju, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 199th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 197th Report of the Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Home Affairs.

... (Interruptions)

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. 8152/16/17.

12.08 hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 81st Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Role of Ministry of Law and Justice in Framing/Approving the provisions of International Covenants/ Multilateral/Treaties or Agreement', pertaining to the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 81st Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Role of Ministry of Law and Justice in Framing/Approving the provisions of International Covenants/Multilateral Treaties or Agreements', pertaining to the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice.

... (Interruptions)

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. 8153/16/17.

12.08 ½ hrs

MOTION RE: APPOINTMENT OF MEMBER OF LOK SABHA TO THE JOINT COMMITTEE ON THE FINANCIAL RESOLUTION AND DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:--

"कि यह सभा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने तथा उनके द्वारा वित्तीय संकल्प और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति से त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री सुधीर गुप्ता को संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do appoint Shri Sudheer Gupta to serve as member of the Joint Committee on the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 *vice* Shri Gajendra Singh Shekhawat resigned from the Joint Committee on his appointment as Minister."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

12.09 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Coir Board

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :--

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के खण्ड (ड.) नियम 4 के उपनियम (1) और नियम 5 के उपनियम (2) के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए श्री अनंत कुमार हेगड़े के स्थान पर कयर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (e) sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 read with clause (e) sub-rule (1) of Rule 4 and sub-rule (2) of Rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the Coir Board, *vice* Shri Anant Kumar Hegde appointed as Minister subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour'.

Prof. Prem Singh Chandumajra.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: चन्दूमाजरा जी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

12.09 ½ hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Martyrdom day of two sons of Guru Govind Singh

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैडम, आज का दिन गुरू गोबिन्द सिंह जी के छोटे सुपुत्रों की शहादत का दिन है। ...(व्यवधान) गुरू गोबिन्द सिंह जी के सुपुत्रों को सरहिंद में जिन्दा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था। ...(व्यवधान) खड़गे साहब, प्लीज आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए. ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: प्लीज आप एक मिनट सुन लीजिए। यह दो बच्चों की शहादत की बात बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा: मैडम, गुरू गोबिन्द सिंह जी के छोटे सुपुत्रों को आज के दिन सरहिंद में जिन्दा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था। ...(व्यवधान) धर्म के लिए इस देश की ह्यूमेनिटी, प्राइड और मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी शहादत हुई। ...(व्यवधान) आज उनके लिए पंजाब में 12 बजे से लेकर शोक व्यक्त किया जाता है। ...(व्यवधान) मैं हाउस में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसमें हाउस भी आपके साथ है।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैडम, कंडोलैंस प्रस्ताव यह है :--

"On this auspicious Shaheedi Diwas, the House pays tributes to the holy souls, namely, Baba Zorawar Singh and Baba Fateh Singh, two younger sons of Guru Gobind Singhji, and Mata Gujariji, who sacrificed their beloved lives for the protection of religion, honour, pride and dignity of the humanity and the nation."

HON. SPEAKER: Hon. Members, please.

... (*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा: मैडम, इस प्रस्ताव को पास किया जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री आलोक संजर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, डॉ. संजय जायसवाल, श्री सी.पी. जोशी, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री ओम बिरला, श्री हरीश मीना, श्री गणेश सिंह, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शिवकुमार उदासि, श्री निशिकांत दुबे, श्री देवजी एम. पटेल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Madam, I associate with this issue. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सभी लोग इससे एसोसिएट कर रहे हैं। All of us are associating.

श्री अरविंद सावंत: मैडम, उनका एक वाक्य था। ...(व्यवधान) I associate with this issue....(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार): मैडम, माननीय सांसद श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी ने गुरू गोबिन्द सिंह जी के दो सपूतों के बिलदान के बारे में, उनको श्रद्धांजिल अर्पित करने के बारे में जो प्रस्ताव सबके सामने रखा है, यह पूरा सदन, पूरा देश और हम सभी उसके साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री अरविंद सावंत: माननीय अध्यक्ष महोदया, इन चार सपूतों के बारे में उन्होंने एक वाक्य कहा था:

' इन सिक्खन के लिए वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित रहे हजार।' इस तरह से उन्होंने अपनी त्याग की भावना प्रकट की थी, इसके लिए मैं उनकी वंदना करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, बोलिए।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, चन्दूमाजरा जी ने शहजादों के लिए जो कहा है, हम उससे एसोसिएट करते हैं। उनकी जो भावना है, वही भावना हमारी है।...(व्यवधान) देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, हम उनके साथ हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभी ने इसके साथ एसोसिएट किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत जी, आप बोलिए। क्या हुआ?

...(व्यवधान)

12.10 hrs

(ii) Re: Ill treatment by Pakistani officials to wife and mother of Shri Kulbhushan Jadhav during their meeting at Islamabad

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदया, पहले मैंने गुरू गोबिन्द सिंह जी के बारे में बात की थी। मुझे पता नहीं था। ...(व्यवधान)

मैडम, कुलभूषण जाधव के साथ, उनके परिवार के साथ...(व्यवधान) अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में पाकिस्तान ने मिलने की अनुमित जरूर दी, परिवार उनसे मिला, लेकिन जिस ढंग से पाकिस्तान ने उनके साथ बदसलूकी की है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कम होगी।...(व्यवधान) मैडम, आप मिलला हैं, हमारी मां जैसी हैं।...(व्यवधान) आप जानती हैं, उस मिलला को उन्होंने बिंदिया उतारने के लिए कहा, मंगलसूत्र उतारने के लिए कहा, उसके कंगन उतारने के लिए कहा और उनके जूते पर भी शंका पैदा की।...(व्यवधान) जब उनको मिलने दिया गया तो कांच की दीवार खड़ी कर दी गयी।...(व्यवधान) उनको अपनी मातृभाषा में बात करने नहीं दी।...(व्यवधान) मां को अपने पुत्र से मिलने नहीं दिया, पत्नी को अपने पित से मिलने नहीं दिया।...(व्यवधान) ये सारी चीजें पाकिस्तान ने जिस ढंग से की हैं, उनकी जितनी भर्त्सना की जाए, कम होगी।...(व्यवधान) पाकिस्तान का मतलब विश्वास नहीं है, पाकिस्तान का मतलब विश्वासघात है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विदेश मंत्री महोदया श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बहुत कड़ा बयान दिया है, लेकिन जब तक कुलभूषण जाधव वापस नहीं आता, तब तक आप शान्त मत बैठिए। ...(व्यवधान) इसलिए जब तक कुलभूषण वापस नहीं आता, हमें शान्त नहीं बैठना चाहिए और कुलभूषण को वापस लाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रोड़मल नागर, श्री आलोक संजर, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुधीर गुप्ता, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री दुष्यंत चौटाला, डॉ. संजय जायसवाल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गणेश सिंह, श्री निशिकांत दुबे और श्री उदय प्रताप सिंह को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय जी, आप इसी विषय पर बोलिए।

प्रो.सोगत राय(दमदम): मैडम, अरविंद सावंत जी ने जो कहा है, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ, उनकी मां और बीवी के साथ, जो बर्ताव किया गया, उसकी निन्दा होनी चाहिए। ...(व्यवधान) एक हिन्दू महिला के मंगलसूत्र उतारना, उसके जूते उतारना बहुत ही घटिया काम है।...(व्यवधान) इस घटिया काम की पूरी निन्दा होनी चाहिए।...(व्यवधान) माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी यहां पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि वह इस बारे में बयान दें और पाकिस्तान की निन्दा हो। ...(व्यवधान) इंटरनेशनल कोर्ट

ऑफ जस्टिस के कारण उसने उनको मिलने की परमीशन दी, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव हुआ, हिन्दुस्तान के हर कोने से उसकी निन्दा होनी चाहिए और यह बोलना चाहिए कि पाकिस्तान हिपोक्रिटिकल है।...(व्यवधान) उसने 'झूठ' बोला है, हमारे लोगों का अपमान किया है।...(व्यवधान) उसकी निन्दा होनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट जोएस जॉर्ज को प्रो.सौगत राय द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, कुलभूषण जाधव की पत्नी के साथ और माता जी के साथ पाकिस्तान का जो बर्ताव था, उसको हम कन्डेम करते हैं। ...(व्यवधान) मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में चर्चा हो और उनकी जो समस्याएं हैं, ...(व्यवधान) पाकिस्तान वाले बार-बार जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इसके बारे में हम सभी लोग आपके साथ हैं।...(व्यवधान)

उनको सुरक्षित यहां वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। ... (व्यवधान) उनको वापस लाकर इस देश में आप एक मिसाल कायम कीजिए। उनको यहां वापस लाना चाहिए और उनको वापस लाकर आप एक मिसाल कायम कीजिए। ... (व्यवधान) इसमें हम आपके साथ हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, what the hon. Member said, we also associate with it. Our AIADMK Party also condemns Pakistan's attitude towards Kulbhushan Jadhav.(*Interruptions*) How they treated his wife and mother is a very condemnable thing. Especially, removing *mangalsutra* is an insult to the Indian diplomacy. Therefore, I would request the hon. Minister to take necessary action. On that, we are supporting her(*Interruptions*)

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति लेकर मैं कल इस गंभीर विषय पर सदन में वक्तव्य दूंगी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वक्तव्य कल आ जाएगा। It is okay.

....(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जितेन्द्र जी को एलाऊ करूंगी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यहां से नहीं। आपको अपनी सीट पर जाना होगा। If you want to say anything, you have to go to your seats. I will allow your leader but not from the Well. If you want to say something, first, you have to go to your seats. I will allow your leader or whosoever wants to speak.

....(Interruptions)

HON. SPEAKER: Jithender *ji*, otherwise, I will not allow you. All of you should go to your seats. I am allowing you. I am sorry. I know your demand. I am with you. But, you please go to your seats. I am not listening to anybody if he is in the Well.

....(Interruptions)

HON. SPEAKER: If you do not want to say, then let it go. I am sorry. If you do not want to say anything, if you do not want to raise the issue, if you do not want the Government to say anything, then let it go. I have no objection. But, if you want to say something, you will have to go to your seats. This will not do. If you want any reply or anything, you will have to go to your seats. I will not allow you like this.

....(Interruptions)

12.18 hrs

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members went back to their seats.)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब क्या है? What is it?

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है और सारा देश देख रहा है कि पार्लियामेंट किस ढंग से इस बात को सुलझाएगा क्योंकि एक यूनियन मिनिस्टर ने यह कहा है, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अभी वह इश्यू नहीं है, मैं इनका इश्यू ले रही हूं। I am not taking up that issue.

....(Interruptions)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Kharge *ji*, you have raised the issue without any notice.

Madam, you have called Jithender Reddy *ji* and Kharge *ji* is speaking.(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not want anybody to speak. I am sorry.

....(Interruptions)

श्री अनन्तकुमार: मैडम, आपने जितेन्द्र रेड्डी जी को बुलाया और खड़गे जी शुरु हो गये।

HON. SPEAKER: If nobody is there to listen, I am sorry. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.19 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

-

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Need to improve railway services in Janjgir-Champa Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा) : देश में सबसे अधिक आय अर्जित करने वाले विलासपुर जोन के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों अकलतारा, जांजगीर-नैला, चाम्पा, बाराद्वार, सक्ती जहां रेल की तीन पटिरयां कार्यरत हैं, चौथी पटरी बिछाने का कार्य जारी है, में मूलभूत यात्री सुविधाओं का अभाव है। प्रत्येक स्टेशनों के प्लेटफार्म नं. 01 की लंबाई कम होने के कारण यात्री गाड़ियों का ठहराव प्लेटफार्म नं. 02, 03, 04 में होता है। मुख्य द्वार तक आने-जाने के लिए केवल एक ही पैदल पुल है, इनमें एक-एक पैदल पुल अत्यावश्यक है। प्लेटफार्म शेड बोगियों की संख्या के आधार पर नगण्य है। स्टेशनों के ग्रेड के अनुरूप भीतर का परिसर कबाड़ के रूप में स्थित है।

जिला मुख्यालय से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आने-जाने के लिए एकमात्र गोंडवाना एक्सप्रेस है जो रायगढ़ से निजामुद्दीन तक चलती है, का स्टॉपेज जांजगीर-नैला स्टेशन में नहीं है।

साउथ-बिहार एक्सप्रेस अप/डाउन का ठहराव जांजगीर-नैला स्टेशन के वाणिज्यिक दृष्टिकोण से उचित पाए जाने के बाद भी लोगों की बहु-प्रतीक्षित मांग पूरी नहीं हो सकी है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपने संसदीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ जैसे-पैदल पुल, शेड निर्माण, सौंदर्यीकरण करने, गोंडवाना एक्सप्रेस का सक्ती एवं जांजगीर-नैला स्टेशन में ठहराव देते हुए रायगढ़ से बिलासपुर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में चलाने एवं साउथ-बिहार एक्सप्रेस का ठहराव जांजगीर-नैला (अप/डाउन) शीघ्र प्रदान करने की मांग करती हूँ।

(ii) Need to confer Padma Vibhushan award on K.D. Jadhav, India's first individual Olympic medal winner

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान भारतवर्ष के वीर सपूत स्व. श्री खाशाबा जाधव जी की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि इन्होंने वर्ष 1952 में प्रथम ओलम्पिक मैडल भारत को दिलाया था तथा इनके द्वारा खेल को बढ़ावा देने के कारण आजकल ओलम्पिक मैडल एवं अन्य मैडल भारत को मिल रहे हैं। खाशाबा जाधव के सराहनीय कार्य को सम्मान देते हुए एवं इनके द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मरणोपरांत पदम विभूषण देने का मैं आग्रह करता हूँ।

अतः मेरा आग्रह है कि स्व. श्री खाशाबा जाधव जी को सर्वसम्मित से मरणोपरांत पदम विभूषण देने पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

(iii) Need to introduce direct trains from Padrauna, district Kushinagar (Uttar Pradesh) to Lucknow, Delhi, Maharashtra and Gujarat

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर) : मेरे संसदीय क्षेत्र कुशीनगर जिला मुख्यालय पडरौना से लम्बी दूरी की कोई ट्रेन न होने की वजह से सभी लोगों को काफी असुविधा उठानी पड़ती है, यदि किसी को लखनऊ-दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात जाना हो तो गोरखपुर ही आकर ट्रेन मिलती है। पडरौना से गोरखपुर करीब 60 कि.मी. की दूरी है वहां से लोग बस, जीप या अपने साधन से पहुंचते हैं जिससे काफी समय लगता है। आए दिन लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं। मेरे क्षेत्र के हज़ारों लोग मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत में नौकरी, व्यवसाय आदि के लिए आते-जाते हैं।

अस्तु सादरपूर्वक सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुशीनगर जिला मुख्यालय पडरौना से लखनऊ-दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए लम्बी दूरी की ट्रेनों के संचालन प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(iv) Need to review the decision to relocate retired Kashmiri migrant Central Government employees in Delhi/NCR

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I request the Ministry of Housing and Urban Affairs to reconsider their new policy to rehabilitate the retired Kashmiri Migrant Central Government Employees to another location in Delhi/NCR. As per directions of the Hon'ble Delhi High Court, upon retirement, they were allowed to retain their residences in Delhi allotted under the General Pool Accommodation when they were serving in various departments of the Central Government. Owing to the ongoing militancy in Kashmir and financial constraints, they are not in a position to be rehabilitated back in their home or elsewhere. Moreover, they have suffered severe mental agony for 27 years due to their internal displacement. Presently, they are above the age of 70 years and to re-locate again would inflict further hardships on them and adversely affect their health.

Allowing them to retain their present accommodation on "as is, where is" basis will facilitate their peaceful remaining years.

(v) Need to release funds for setting up Meditech Park in Sanand, Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : गुजरात में ग्रीनफील्ड डिवाइस और उपकरण स्थापित करने से संबंधित प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए सचिव (फार्मा) रसायन एवं उर्वरक विभाग फार्मास्युटिकल्स विभाग की अध्यक्षता में 05.08.2016 को एक बैठक हुई थी।

तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय मंत्री (सी.एंड एफ.) से मुलाकात की और इस मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए इस मुद्दे पर चर्चा की गई।

जी.आई.डी.सी. ने साणंद में 81 हैक्टेयर मेडिटेक पार्क की योजना बनाई है। इस प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 121.70 करोड़ रूपये की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है, यह प्रस्ताव 22.12.2016 को वित्तीय सहायता की मांग के लिए रसायन और पैट्रोकेमिकल्स विभाग को सौंप दिया गया था। 06.02.2017 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार के अंतर्गत सचिव ने कहा कि मेडिटेक पार्क की स्थापना के लिए मुख्य मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस विभाग में प्रस्तावित चिकित्सा उपकरणों में सी.एफ.सी. के विकास के लिए अभी तक निधि को आवंटित नहीं किया गया है।

अतः मेरी मांग है कि इस निधि को जल्द से जल्द आवंटित किया जाए।

(vi) Need to reintroduce old pension scheme

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : मैं देश में नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करती हूँ। तत्कालीन भारत सरकार ने 01 जनवरी, 2004 से केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की नौकरियों में पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी थी, जिसके कारण भारत सरकार के लगभग 50 लाख शिक्षक/कर्मचारियों/ अधिकारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस नई अंशदायी पेंशन योजना में लोगों को सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई निश्चित राशि देने का प्रावधान नहीं किया गया है। उनकी बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया है। यह उनके साथ सरासर अन्याय है, जिससे युवा कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। भारत में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों में अभी भी पुरानी पेंशन योजना चल रही है जबिक तिमलनाडु एवं केरल ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सिमितियों का गठन कर दिया है और वहां पर इस संबंध में तेज गित से कार्य चल रहा है। एक देश, एक विधान में दोहरी पेंशन व्यवस्था कैसे? यह तो समानता के अधिकार का हनन है।

अतः मैं भारत सरकार से नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करती हूँ, जिससे करोड़ों केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा रहे और देश निर्माण में अपना योगदान कर सकें।

(vii) Need to establish a world-class Institute of Management in Dhanbad, Jharkhand

श्री पशुपित नाथ सिंह (धनबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद जिला के अंतर्गत दो जिला धनबाद और बोकारो झारखण्ड राज्य के महत्वपूर्ण और औद्योगिक जिला है। धनबाद को कोयला की देश की राजधानी जाना जाता है। वहीं कई केन्द्रीय प्रतिष्ठान हैं जिसमें कोई माईन्स प्रॉविडेन्ट फण्ड का मुख्यालय, सेन्ट्रल रिसर्च स्टेशन और वहीं आई.आई.टी. इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स (आई.आई.टी.), डी.वी.सी. के दो प्रोजेक्ट मैथन और पंचेत तथा बोकारों में स्टील ऑथरिटी ऑफ इण्डिया को बोकारों स्टील प्लांट तथा आस-पास बहुत सी इण्डस्ट्रीज एवं कोलयरी है। परन्तु धनबाद जिला में एक भी विश्वस्तरीय सरकारी प्रबन्धन शिक्षण संस्थान नहीं है जिसके कारण यहां के बच्चों को राज्य से बाहर जाकर प्रबन्धन शिक्षण ग्रहण करनी पड़ती है।

अतः मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में एक विश्वस्तरीय सरकारी प्रबन्धन शिक्षण संस्थान खोला जाए जिससे कि बच्चों को राज्य में रह कर ही प्रबन्धन शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके।

(viii) Need to provide stoppage of New Delhi-Ranchi Rajdhani Train at Hazaribagh Road Railway Station in Giridih district, Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन गिरिडीह जिले का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव रहा है। जिले के ज्यादातर यात्री यही से गाड़ियों में जाते हैं। नई दिल्ली-रांची राजधानी सप्ताह में दो दिन वाया डॉल्टनगंज चलती है, इस गाड़ी के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों के स्टेशनों में राजधानी का ठहराव है। रांची (जिला रांची), बड़काकाना (जिला रामगढ़), डॉल्टनगंज (जिला पलामू), गढ़वा रोड (जिला गढ़वा) एकमात्र गिरिडीह जिले के हजारीबाग रोड स्टेशन पर इस गाड़ी का ठहराव नहीं है, जिसके कारण गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले के यात्रियों को दूसरे जिलों के स्टेशनों पर जाकर इस गाड़ी को पकड़ना पड़ता है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस का हजारीबाग रोड स्टेशन पर ठहराव करवाने का कष्ट करें।

(ix) Need to provide stoppage of various trains running on Maksi-Ruthiyai railway section at railway stations under Rajgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश से एकमात्र रेल मार्ग, मक्सी-रूठीयाई रेलखंड गुजरता है। इसी रेल मार्ग से क्षेत्र की लगभग 30 लाख की आबादी देश-प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन करती हैं। मध्य प्रदेश के व्यापारिक नगर इंदौर के साथ देश के किसी भी भाग में व्यापार व अन्य सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थान पर एकमात्र स्रोत मक्सी-रूठीयाई रेलखंड है। इसी कारण इस मार्ग से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी करते आ रहे हैं।

(x) Need to stop 'Anna Pratha' causing huge damage to standing crops in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर में अन्ना प्रथा में आवारा पशुओं के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आवारा पशु झुण्ड में खेत के खेत चर जाते हैं, जिसके कारण किसानों को अपनी रबी की फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है, मेरा संसदीय क्षेत्र बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है, जहां का किसान पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेंशान हैं और इस बार अन्ना पशुओं के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसान घर पर न रहकर खेत पर टॉर्च लेकर रात्रि में जागकर रखवाली करने को मजबूर हैं तथा जानवरों को सुबह से रात्रि तक 24 घंटे किसान भगाते रहते हैं।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस अन्ना प्रथा को रोकने हेतु जल्दी से जल्दी कुछ स्थायी कदम उठाते हुए किसानों की दिक्कत का निदान करने का कष्ट करें।

(xi) Need to withdraw the decision of disinvestment of Central Public Sector Enterprises

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): The Government is recommending the closure of several CPSUs of the country. They have identified some sick Central Public Sector Enterprises (CPSEs) for closure including Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., BURN Standard Company Ltd., Hindustan Cables and Bridge and Roof Construction Corporation Ltd. whereas the Central Public Sector Enterprises are meant to serve certain larger social causes.

Morks Ltd is one of the prime listed companies of the Government which posted a profit of 4 crore (US\$620,000) in the 2016-17 fiscal year and after repaying bank loans. Bridge & Roof Co. (I) Ltd is serving the construction industry for the post more than ninety seven years with enviable track record in making profit for years together, paying dividend to Government of India & has never fallen sick but kept a constant positive growth with 1500 plus permanent employees & 15000 plus temporary employees & workers posted all over INDIA Whereas Hindustan Cables Ltd and BURN Standard Company Ltd are also a profitable and regular paying dividend in the central exchequer for the last few years.

Keeping in mind the necessity of the existence of Central Public Sector Organisations for addressing social causes and encouraging tremendous scope of direct and indirect employment, I request the Government of India (the Finance Ministry) to change the decision of disinvestment of these Public Sector Organisations.

(xii) Need to enhance the honorarium of cooks engaged under mid-day meal scheme in primary schools in Uttar Pradesh

श्री कॅवर सिंह तॅवर (अमरोहा) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। जो महिलाएं इन विद्यालयों में रसोइये का कार्य करती हैं, वे विधवा/तलाकशुदा अथवा समाज में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर महिलाएं होती हैं, जिनके परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है।

इन्हें सरकार की तरफ से 1000 रूपये प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। यह मानदेय भी इन्हें पूरे वर्ष न मिलकर सिर्फ 10 महीने ही मिल पाता है वह इनके कार्य के अनुसार बहुत मिलने में भी देरी होती है। इन्हें जो मानदेय मिलता है वह इनके कार्य के अनुसार बहुत कम है, क्योंकि इन्हें पूरे दिन स्कूल में रहना पड़ता है और कई बार इनसे खाना बनाने के अलावा अन्य कार्य भी करवाये जाते हैं।

आज के समय में इनको इतने कम मानदेय में अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में अत्यन्त कितनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाये और इन्हें पूरे वर्ष का मानदेय दिया जाये जिससे यह सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें।

(xiii) Need to expedite construction of dam on river Suara in Kaimpur district, Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत सुअरा नदी के बांए-दाएं तटबंध पर ग्राम-पड़री-पंचकुइयां के पास बांध बनाकर अधौरा प्रखंड के तेलहार कुण्ड से गिरे हुए पानी को जगहदवां बांध में गिराने की शीघ्र आवयकता है। इस असिंचित एवं पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई का एकमात्र स्रोत जगहदवां बांध ही है। इस संबंध में अनेकों पत्राचार द्वारा आग्रह किया गया है, जिसके आलोक में मुझे अवगत कराया गया है कि बांध के निर्माण हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। एस.जी.ई. कन्सलटेंसी को डी.पी.आर. तैयार कर तीन माह के भीतर समर्पित करना है तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर एवं भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, परन्तु विलम्ब के कारण किसानों/लोगों में निराशा नजर आने लगी है। वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्र को जितना जल्द सिंचाई का साधन/स्रोत उपलब्ध होगा उतना ही किसानों को राहत मिलेगी।

अतः अनुरोध है कि विशेष अभिरूचि लेकर यथाशीघ्र उक्त सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(xiv) Need to include Apollo Hospital in Bilaspur, Chhatisgarh in the panel of hospitals for availing medical facilities meant for Prime Minister National Relief Fund beneficiaries

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर में सन् 2001 से अपोलो अस्पताल है। अनेक डॉक्टरों एवं संसाधन उपक्रमों से सुसज्जित अस्पताल में अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। ज्यादा मरीजों को अपोलो अस्पताल में अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। जिस कारणवश अनेक लोग अपना इलाज नहीं करा सकते।

सरकार के द्वारा घातक बीमारियों से बचाने के लिए हितग्राहियों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से इलाजनुसार पैनल वाले अस्पताल प्रशासन को राहत राशि प्रदाय कर दी जाती है। अपोलो अस्पताल, बिलासपुर (छ.ग.) केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष योजना के पैनल में नहीं है। जिस कारण छत्तीसगढ़ सहित उडीसा, झारखंड, म.प्र. के अनेक मरीजों को अपोलो अस्पताल बिलासपुर में इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः सरकार से मेरी गुजारिश है कि अपोलो अस्पताल बिलासपुर (छ.ग.) को अतिशीघ्र पैनल में शामिल किया जाए।

(xv) Need for strict periodical maintenance and repair of railway infrastructure

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): I wish to draw the urgent attention of the Government towards a very important issue regarding safety of millions of passengers who travel by rail. Railway is the largest public utility service and millions of our people depend on Railways for transport. Of late, recurring train accidents have become a common phenomenon. Derailments and cracks on the Railway Lines are coming to light, causing anxiety and panic in the minds of travelling public. Lack of maintenance and failure to ensure timely repairing works is putting thousands of lives at risk. Any delay and complacency on the part of Railways to address this issue will cause further accidents. Hence, I urge the Railway Ministry to take up strict periodical maintenance and repair on war footing to ensure safety of millions of commuters on trains.

(xvi) Need to allocate funds for construction of outer bunds to Padasekharamas in Kuttanadu in Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): In Kerala Kuttanadu package was implemented by the then UPA government. The package was promoting paddy cultivation in Kuttanadu. Dr. M S Swaminathan Foundation promoted agriculture package for Kuttanadu. In this Agriculture package, strengthening of outer bunds to Padasekharams is main component. The implementation period of the package is over, but the construction of outer bunds for Padasekharams has not been completed. More than 300 Padasekharams outer bund should be constructed. The Central Water Commission has been given financial assistance. The total estimate of the pending outer bund construction of Padasekharams is around Rs. 1250 crore. I would like to urge upon the Water Resource Ministry to allocate this amount immediately for the construction of outer bunds in Kuttanadu Padasekharams.

(xvii) Need to provide rural road connectivity under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to the unconnected rural and tribal habitations of Kallakurichi Constituency in Tamil Nadu

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Scheme is aimed at Primary objective of providing all weather rural roads connecting all eligible unconnected habitation in the rural areas. Kallakurichi parliamentary constituency in Tamil Nadu is mainly occupied by hills (Eastern Ghats) and forests (reserved and unreserved). About 25% of the tribal population in Tamil Nadu live in the hilly region of Kallakurichi constituency. Under phase I of PMGSY most unconnected habitations have been connected with all weather roads but in Kallakurichi constituency, still considerable number of rural and tribal habitations in Kalvarayam Hill, Chinnar Kalvarayam Hills, Sharary Hill, Jambooty hills, Amooth Hills and Pachmalai Hills have not been connected with rural roads.

So, the general public, poor tribals do not have easy access to nearby healthcare facilities, Agriculture markets, commercial establishments, Government offices and services and have to travel many extra miles to access the above services. The tribals have to carry the medically-ill people and pregnant women over shoulder or in cradle to reach the nearby health facilities. Hence, I request the Hon'ble Minister for Rural Development to develop a specific sub plan under PMGSY Scheme to provide rural road connectivity to the unconnected rural and tribal habitations of Kallakurichi Constituency.

(xviii) Need to put in place robust system to deal with cyclone

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): The entire country is aware of the severe cyclonic storm "OCKHI" which has caused extensive damage to Kanyakumari district of Tamil Nadu, The magnitude of the damage to power infrastructure, agriculture, fisheries infrastructure etc. is humongous and thereby be declared as a National disaster, A dedicated naval base with helicopter landing centre and communication command centre must be set up in the district. 1500 High frequency wireless sets and control rooms in all coastal districts need to be set up with 90% subsidy from Central Government. Search and rescue operations by Coast Guard, Indian Navy and Air Force must continue till the last fisherman is rescued. A dedicated satellite radio channel for informing about the weather conditions to the fishermen is required. A total of Rs. 9302 crore must be allocated to the state which includes Rs. 5255 crore for relief and rehabilitation measure due to Ockhi cyclone and Rs 4047cr for permanent flood mitigation projects to be taken in the coastal districts of Tamil Nadu especially Chennai city during the North east monsoon season.

(xix) Regarding condition of dispensaries under Central Government Health Scheme in West Bengal

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): The Central Government Health Scheme (CGHS) caters to the health and well being of Central Government employees and MPs. But often I receive grievances from the CGHS beneficiaries of my Parliamentary Constituency that empanelled Hospitals under the CGHS are located at distant places, which cause hardships to sick persons. There is a need to increase the number of empanelled hospitals under CGHS in West Bengal. At present, there are only 20 General Purposes Hospitals, Exclusive Eye Hospitals, Diagnostic Centres under CGHS in West Bengal. This is certainly not enough.

There is also urgent need to increase the number of investigation centres/ Pathology clinics in West Bengal. There is need of proper maintenance and improvement of CGHS Dispensaries in West Bengal particularly near Kankargachi Kolkata (near VIP market).

(xx) Need to start construction of railway extension project from Hasnabad to Shamshernagar in North 24 Parganas district of West Bengal

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): I recall, while introducing the Railway Budget 2011-12 on 25th February 2011, the then Railway Minister and the present Chief Minister of West Bengal had announced that out of 251 projects of surveys for new lines/gauge conversion/doubling in the country, 190 projects have been taken up in the 12th Plan. Out of 190 projects, one project was extension of railway track from Hasnabad to Samshernagar. In 2017, I regret to inform the House that after the DPR, till date during the 12th Five year Plan, no action has been taken by the Ministry. I therefore urge upon the Government to start the construction of RAILWAY extension project upto Samshernagar of Eastern Railway Sealdah Division in the District of North-24 Pargana of West Bengal, without any further delay.

(xxi) Need to dissuade Chhattisgarh Government from constructing dams and barrages on river Mahanadi

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): A number of barrages and dams have been constructed by the Chhattisgarh on the river Mahanadi that have drastically reduced the flow of water in the river. The river is dry. As a result, fishermen community of Odisha residing near the embankment of river and river mouth are being deprived of their livelihood. For removal of silt, dredging is required urgently in all river mouths in my Jagatsingpur Constituency. I would like to urge Central Government to direct the State to immediately stop construction activities on all barrages and dams on river Mahanadi, its tributaries and refer the matter to a tribunal. Suitable assistance be provided to the Fisherman community dependant on river Mahanadi and its tributaries.

(xxii) Need to set up an All India Radio Station in Latur Parliamentary Constituency, Maharashtra

DR. SUNIL BALIRAM GAIKWAD (LATUR): In this present age of fast communication, the role of All India Radio (AIR) in our society can hardly be exaggerated. AIR is one of the largest broadcasting organizations in the world and as we are all aware, has a greater impact and reach especially in rural areas where television is still a distant dream for many. The motto of AIR is to provide information, education and entertainment for promoting the welfare and happiness of the many. This motto of AIR has endeared it to our mass population. But unfortunately, even after seventy years of our independence, my constituency Latur does not have an All India Radio Station. The setting up of AIR station in my constituency will not only help our rural people in educating themselves about the various Government welfare schemes and programmes but also enable them to get rid of some of the social evils and superstitions.

I, therefore, request the Hon'ble Minister for Information and Broadcasting to set up an All India Radio Station in my constituency Latur in the greater interest of its people.

(xxiii) Need to release adequate funds for establishment of Agriculture University in Guntur, Andhra Pradesh

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Section 93 (13th Schedule of the Andhra Pradesh Re-organization Act, 2014) stipulates establishment of an Agriculture University in Residuary State of Andhra Pradesh. During the Budget (2014-15) presented in the Lok Sabha on 10th July 2014, the Finance Minister proposed to establish Agriculture University in the State of residuary Andhra Pradesh along with one more Agriculture University in Rajasthan and Horticultural Universities in Telangana and Haryana.

There is a need to establish premier Agriculture education and research institutions in Andhra Pradesh as the residuary State of Andhra Pradesh is deprived of several academic and research institutions due to bifurcation. In order to ensure equal opportunity for quality Agriculture education and research to all students and farmers in the successor state of Andhra Pradesh. The new headquarters of Agriculture university at Lam, Guntur need to house advanced post graduate centres. Centres of excellence in research, administrative office, central library, central computer center and farmers training centres. For the purpose of establishment Agriculture University at Lam, Amaravati in Gutur, the Union Government promised to fully support the funding of Rs. 1000 crores but only Rs. 135 crores released so far.

I would, therefore, request the Union Government to release the remaining funds at least to the tune of Rs. 900 crores so that the agricultural growth in the region receives the much needed impetus and usher in a new era of robust agriculture and a knowledge empowered prosperous farming community. I would also request the Government to release adequate funds for the establishment of new Girijana University at Vizianagaram District in Andhra Pradesh.

(xxiv) Need to strengthen road safety measures

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): According to the report published by the Ministry of Road Transport and Highways, the number of road accidents in India has further increased in comparison to the figure last year. This has happened despite the steps taken by the Ministry of marking Black Spots on roads. On National Highway Number 44, 171 kilometres stretch happen to pass through my constituency which is one of the fatal roads going by the number of accidents and number of deaths taking place on it.

The State of Telangana occupies No. 3 slot at the national level for the highest number of persons killed at T-junctions. Our state administration has also identified 78 points where the road safety procedures need to be enhanced but the steps taken are inadequate. I request the Government to take remedial measures in this regard.

(xxv) Need to review the decision to privatise Dredging Corporation of India

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I would like to draw kind attention of the Government on the burning issue pertaining to the privatisation of the Dredging Corporation of India (DCI) Unit/Office in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. In this regard, I would like to state that the DCI having its corporate office in Visakhapatnam was set up in 1976 with an investment of Rs. 28 crores. As the House is well aware, it has never incurred losses since its inception. It is one among the top ten companies involved in Dredging in the world. The company has also got work order from other countries like Bangladesh and Bahrain, etc., At this juncture, I wish to state that, it is vital to maintain dredging services for the development of marine trade as well as for security of the Indian Navy operation. Recognising the special characteristic of dredging operations in Visakhapatnam due to its natural phenomena it has been globally accepted that these dredging companies should preferably be in the public sector and they should subsidised. In contrary, the Union Cabinet decided to completely privatise the DCI which was strongly resisted by the DCI employees and its affiliated unions/associations. In an unfortunate incident, one permanent employee named Shri Venkatesh has committed suicide, expressing fear of losing job after privatisation. The employees of the DCI have undertaken relay hunger Strike with the demand to stop privatisation due to their job security. Hence, under such prevailing circumstances, in view of the principles of natural justice, the very purpose of the reservation policy of the Government as guaranteed under Constitution, are largely affected due to the decision of the Union Government while privatising DCI. Therefore, I request the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Minister of Shipping to kindly intervene in the matter and re-consider its stand on the privatisation of DCI to render justice to the eployees and their dependent families of the DCI.

(xxvi) Need to provide compensation to victims of cyclone 'Ockhi' in Lakshadweep

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): "Ockhi" cyclone had its effect in Kalpeni, Minicoy and Kavaratti Islands in Union Territory of Lakshadweep. Therefore, there is a need to assess the loss and provide compensation to the victims.

(xxvii) Need to ensure remunerative price to potato farmers

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी) : उत्तर प्रदेश में किसान से लेकर मंडी व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज वाले सभी आलू की बदहाली को लेकर परेशान है, यू.पी. के आगरा, इटावा, मैनपुरी, फरूखाबाद, कन्नौज जिलों में किसानों के हालात खराब हैं।

बाजार में आलू के दाम में हुई भारी गिरावट के कारण किसान अपना आलू फेंकने को मजबूर है। नया आलू आने से अब कोल्ड स्टोरेज में से पुराना आलू निकालना किसान के लिए घाटे का सौदा (रू. 300/बैग) साबित हो रहा है। किसानों द्वारा जो आलू फेंका जा रहा है, उससे उद्योगपित चिप्स बनाकर महंगा बेच रहे हैं।

सरकार से मेरी मांग है कि आलू को मिड डे मिल में शामिल किया जाए। मैनपुरी में आलू का फूड प्रोसेसिंग प्लांट एवं फूड पार्क लगाया जाए। सरकार द्वारा आलू की खरीद की व्यवस्था, आलू के किसानों को भाड़े में सब्सिडी एवं नुकसान का मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को अविलम्ब राहत मिल सके।

(xxviii) Need to recognize Lingayat religious tradition as a separate religion

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : आप सभी को पता है कि विश्वगुरू महामानव महात्मा बसवेश्वर जी (बसवण्णा) एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1134 ई. में मैसूर (कर्नाटक) में हुआ था। बसवघा जी कुंडलसंगम गाँव में रहते थे। वे क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्होंने समाज में जो गलत रिवाज चल रहे थे, उनका उन्होंने कड़ा विरोध किया और बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा किया। यह आंदोलन धार्मिक कर्मकाण्ड के और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। वे परिवर्तनकारी विचारों की वजह से समाज में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वैदिक धर्म छोड़कर "लिंगायत पंथ " की स्थापना की। महात्मा बसवेश्वर जी ने विश्व की पहली लोकतांत्रिक संसद की नींव मंगलवेढ़ा जिला-शोलापुर (महाराष्ट्र) में रखी।

उनके विज्ञानवादी और प्रगतिशील विचारों की वजह से लिंगायत पंथ के ढेर सारे अनुयायी कर्नाटक और महाराष्ट्र के ज्यादातर पाए जाते हैं। इसी वजह से उनकी विचारधारा भगवान महावीन जी एवं भगवान गौतम बुद्ध जी से मिलती-जुलती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में लिंगायत पंथ के जो लोग हैं, वे ज्यादातर खेती करने वाले किसान हैं और व्यापारी हैं। "लिंगायत पंथ " को "लिंगायत धर्म " की मान्यता प्रदान करने के लिए लिंगायत पंथ के लोग बहुत दिनों से आंदोलित हैं। हाल ही में उन्होंने सांगली (महाराष्ट्र) में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया।

मेरी सरकार से पुरजोर विनती है कि "लिंगायत पंथ " को कानूनी तौर पर "लिंगायत धर्म " के रूप में जल्द से जल्द मान्यता प्रदान करने का क्रांतिकारी फैसला करके पूरे समाज में एक नया विश्वास का माहौल स्थापित करने का प्रयास करें।

14.02 hrs

(At this stage, Prof. A.S.R. Naik and Shri Godam Nagesh came and stood on the floor near the Table.)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call you. Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

14.02 ½ hrs

(At this stage, Prof. A.S.R. Naik and Shri Godam Nagesh went back to their seats.)
... (Interruptions)

14.03 hrs

CLARIFICATION BY MEMBER

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इस देश में जो फ्रीडम फाइटर्स और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान समिति बनी थी और जिसको पं. जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार बल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे हमारे बहुत प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने चर्चा करके संविधान का निर्माण किया है, लेकिन आज इस सरकार में एक ऐसे मंत्री ने यह बात कही है। उन्होंने यह कहा है कि मनुस्मृति, यह एक पुरानी स्मृति थी, वह चली गई। फिर, अम्बेडकर स्मृति आयी है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You come to the point. What do you want to say? SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He has said this. He has called ... (Interruptions) ...* all the people who support secularism.

HON. DEPUTY SPEAKER: The word ...

(Interruptions) ...*

HON. DEPUTY SPEAKER: will not go in record.

... (*Interruptions*)

-

^{*} Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am repeating his own words. I am not putting a single word from my mouth. जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वे नहीं जानते हैं कि उनका खून क्या है? हां, संविधान यह अधिकार देता है कि हम खुद को धर्मनिरपेक्ष कहें, लेकिन संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं। हम भी उसमें संशोधन करेंगे। हम सत्ता में इसलिए आए हैं कि उस संविधान को बदलेंगे। सिर्फ यही नहीं है।...(व्यवधान)

I will read what the Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Shri Anantkumar Hegde has said:

"The Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship, Anantkumar Hegde stressed the need to change the Constitution periodically. The Constitution is running on the thoughts of B.R. Ambedkar and has to change according to today's situation."...(Interruptions)

So, this is their position. ... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharghe Ji, you have said what you wanted. You tell me what you want now.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Not only that, he also said:

"They are like people without parentage or who do not know their bloodline.

HON. DEPUTY SPEAKER: That is enough.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Give me one minute.

"They do not know themselves. They do not know their parents but they call themselves as secular. If someone says I am secular, I get suspicion."

It means that we, all the persons, all the people who are supporting the secular thoughts, are not born to our parents. ...(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mullappally Ramachandran and Shri N.K. Premachandran are permitted to associate themselves with the issue raised by Shri Mallikarjun Kharge.

...(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He said he is replying to you.

...(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You please listen to him.

...(Interruptions)

14.06 hrs

(At this stage, Shri K. C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

...(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He should come to this House...(Interruptions)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि अभी श्री मिल्लकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने जिन अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें आज की प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज किया जाए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, I have already said it.

श्री अनन्तकुमार: हमारे मंत्री अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो कुछ कहा है, उसे तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश अनुभवी नेता माननीय खड़गे जी कर रहे हैं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बार-बार कहा है कि सवा करोड़ भारतीय लोगों के लिए यदि कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो वह डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित हमारा संविधान है।...(व्यवधान) भारतीय संविधान में हमारी अट्ट निष्ठा है और सेक्युलरिज्म और दुसरी चीजों का पाठ कांग्रेस हमें न सिखाए।...(व्यवधान) आजादी के बाद के कार्यकाल में यदि ढोंगी सेक्युलरिज्म यानी जिसे स्यूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं, स्यूडो सेक्युलरिज्म में यदि किसी ने प्रैक्टिस की है, तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है।...(व्यवधान) डाँ० बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया और उन्हें चुनाव हरवा दिया।...(व्यवधान) डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर को राज्य सभा में लाने का पुण्य काम डाँ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, जनसंघ ने किया है।...(व्यवधान) बाबा साहब को " भारत रत्न " पुरस्कार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। वी.पी. सिंह सरकार को अटल जी, आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, तब बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।...(व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पांच जगह, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई की, जहां बाबा साहब का कर्मक्षेत्र है, जहां बाबा साहब लंदन में रहते थे, वहां उनके अध्ययन की जगह है और जहां बाबा साहब की अंत्येष्टि हुई, इन पांचों जगहों पर तीर्थ स्थल की स्थापना करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए सरकार ने किया, नरेन्द्र भाई मोदी ने किया।...(व्यवधान)

14.09 hrs

(At this stage, Shri Mohammad Salim and Shri P. Karunakaran came and stood on the floor near the Table)

में आखिर में सेक्यूलिरज्म के बारे में, डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और उनके द्वारा निर्मित संविधान के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को और हमारे नेतृत्व को भारतीय संविधान में अटूट श्रद्धा है और हम इसके प्रति नतमस्तक हैं।...(व्यवधान) इस बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करना उचित नहीं है। में माननीय खड़गे जी से और कांग्रेस से इतना ही निवेदन करता हूं कि अभी हमें विधायी काम करने दीजिए। पिछले एक हफ्ते से ये लोग काम में गतिरोध पैदा कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप चाहते थे कि विंटर सैशन होना चाहिए, अब जब विंटर सैशन हो रहा है, आप बार-बार सदन से वॉक आउट कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप वैल में आते हैं या सदन से वॉक आउट करते हैं।...(व्यवधान) वैल में आना और सदन से वॉक आउट करना, आप दोनों चीजें मत कीजिए और चर्चा में भाग लें।...(व्यवधान)

14.10 hrs

<u>SUBMISSIONS BY MEMBERS ... Contd.</u> (iii) Re: Need to establish a separate High Court for Telangana

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, व्यक्ति के सहन करने की भी एक सीमा होती है। हमारी स्टेट को बाइफरकेट हुए 3.5 साल हो गए हैं। स्टेट रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट के सैक्शन 31 के हिसाब से आंध्र-प्रदेश के हाई कोर्ट का जो बाइफरकेशन होना था, वह आज तक नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) इस संबंध में हमसे बहुत से वादे किए गए थे। हमारे लॉ मिनिस्टर ने हाउस में इसी फ्लोर पर वादा किया था ...(व्यवधान) इस संबंध में पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर वैंकया नायडू जी ने भी हमसे वादा किया था ...(व्यवधान) और गवर्न्मेंट ने भी हमसे वादा किया था कि बाइफरकेशन हो जाएगा, but I would like to tell you that it is three and a half years now and it is beyond the limit. ... (Interruptions) The lawyers of Telangana are conducting an agitation in Telangana. All the promotions, which they were to get, have been stalled. Injustice has been done to the lawyers of the State of Telangana. ... (Interruptions)

The State of Telangana does not have any meaning without the establishment of a High Court in the State. ... (*Interruptions*) So, we demand that bifurcation of the High Court has to be done immediately. ... (*Interruptions*) We want the hon. Law Minister should come here and give us an assurance that the bifurcation will be done in a time bound manner and immediately a new High Court will be established in the State of Telangana. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, my dear friend, Shri Jithender Reddy and all the hon. Members of Telangana Rashtra Samithi (TRS) have raised a very important issue that they want a separate High Court for the State of Telangana ... (*Interruptions*)

Sir, all the States in the country are having their own designated High Courts. Therefore, the issue raised by my hon. friend, Shri Jithender Reddy and my all the hon. friends of Telangana Rashtra Samithi, led by Chandrashekar Rao ji, is very valid. ... (*Interruptions*) At this moment, I can only tell them that I will

convey their concern as well as the urgency of the matter to the hon. Minister of Law and Justice.... (*Interruptions*)

Therefore, I request them not to take this issue to their heart and allow the House to run. ... (*Interruptions*)

14.13 hrs

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL, 2017

HON. DEPUTY SPEAKER: Let us take up Item no. 25 – Shri Hardeep Singh Puri.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, with you permission, I beg to move:

"That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved.

"That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration."

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, यह अधिनियम एन.सी.टी., दिल्ली का सन् 2017 का दूसरा अमेन्डमेन्ट बिल है। इसका इतिहास यह है कि इससे पूर्व सन् 2006 से पहले Delhi Laws Act के नाम से एक प्रोविज़न आया था, जिसे हर साल बढ़ा दिया जाता था।

वर्ष 2006 के बाद से हर साल बढ़ते जाने के बाद वर्ष 2011 में एनसीटी ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न एक्ट, 2011 आया, जिसको हम आज प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं। वर्ष 2011 का एक्ट तीन साल के लिए बढ़ाया गया। वर्ष 2014 में उसकी मियाद खत्म हुई। वर्ष 2014 में वर्ष 2017 तक के लिए दूसरा अमेंडमेंट बिल आया। अभी जो बिल है उसके तहत इसकी मियाद को वर्ष 2020 तक बढ़ाया जा रहा है और उस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए यह बिल आया है।

14.15 hrs

(At this stage, Prof. A.S.R. Naik and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

महोदय, इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली में लगातार कमिशियल स्पेस की, पॉपुलेशन की, रखरखाव की, सैनिटेशन की, बिजली की, हर तरीके के प्रावधान की कमी हो जाती है। हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही हैं, जिस कारण से अमेनिटीज़ कम हो जाती हैं। स्लम्स बढ़ रहे हैं, अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़ बढ़ रही हैं, कमिशियल यूजिस बढ़ रहे हैं, रेज़ीडेंशियल एरियाज़ में कटौती हो रही है। इन सब इनएडिक्वेसीस को हैंडल करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से सब तरह के कंस्ट्रक्शन्स पर रोक लगी थी कि उनको अभी टैम्परलीं हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। दिल्ली उन जरूरतों को पूरा करने में अक्षम रही है। वह जरूरत थी स्लम इवेलर्स यानी झुग्गी-झोंपड़ी के लोग, अर्बन स्ट्रीट वैंडर्स जो कि रेहड़ी-पटरी वाले हैं, अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़, विलेज आबादी जिसमें अर्बन विलेजिस इनक्लूडिड हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 67 अर्बन विलेजिस हैं। एज़िस्टिंग फार्म हाउसिस, फार्म हाउसिस का दायरा छोटा हो गया और उसमें कंस्ट्रक्शन बढ़ गया। परिमिसिबल बिल्डिंग लिमिट के बियोंड उस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हो गयीं। स्कूल, डिस्पेंसरीज़, रिलीज़स प्लेसिस, कल्वरल इंस्टीट्यूशन्स, स्टोरेज, वेयर हाउसिस, गोदाम, बिल्डिंग, एग्रीकल्वर एंड एग्जिस्टिंग गोडाउन क्लस्टर्स। इसके अलावा जो स्पेशल एरियाज़ हैं, खास तौर से पुरानी दिल्ली और करोल बाग का इलाका है, ऐसे तमाम इलाके भी इनवॉल्व थे। इसके अलावा एनसीटी दिल्ली के तमाम इलाके इसमें इनवाल्व हैं। यह सब होने के बावज़ूद स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट बनाया गया, जिसके तहत

वैंडर्स को हटाने से रोका गया और उनका प्रोटेक्शन उस एक्ट के तहत किया गया1 क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इस कारण से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का संबंधित प्रोविज़न...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 14.45 pm.

... (Interruptions)

14.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.45 hrs

The Lok Sabha reassembled at Forty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair.)

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL, 2017 Contd

माननीय अध्यक्ष: मीनाक्षी लेखी जी आप बोल रही थीं।

...(व्यवधान)

14.45 ½ hrs

(At this stage, Prof. A.S.R. Naik and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप अपनी सीटों पर जाइए ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Minister has given you the assurance. You can have a meeting with the Law Minister. You please agree to what I am saying. जितेन्द्र जी. हाउस में ऐसी बातें नहीं होती हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 2017 के विधयेक एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस अमेंडमैंट एक्ट पर बोल रही थी और उसी को कंटीन्यू करते हुए कहना चाहती हूं कि जब मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 को बनाया जा रहा था, जब मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 का निर्माण चल रहा था, उस समय दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं सामने आईं और उन समस्याओं में यह था कि दिल्ली ज्यादा पापुलेटिड है, दिल्ली में हर साल जनसंख्या बढ़ जाती है और पूरे देश में समस्याओं से ग्रसित जो भी लोग हैं, वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। वे यहां रोटी-रोजगार के लिए आते हैं, उनके पास व्यापार के साधन नहीं हैं, रहने के साधन नहीं हैं, पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। इन सबके कारण दिल्ली के अंदर जन सुविधाओं का लगातार प्रैशर बढ़ता चला जाता है और जन सुविधाओं के अभाव में स्लम्स बन गये, अनऑथोराइज्ड कालोनीज बन गईं, कमिशंयल सैंटर्स बन गये, रेजिडेंशियल एरियाज कमिशंयल में बदल गये और जब इन सबके कारण इन समस्याओं से जूझा जा रहा था, तब 2006 में दिल्ली लॉज अमेंडमैंट

एक्ट आया और दिल्ली लॉज के आने के बाद हर साल उसकी मियाद बढ़ा दी जाती थी। लेकिन 2011 में एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के नाम से यह कानून आया और उसे तीन साल की मियाद दी गई, जो 2014 तक चली। 2014 तक नाम्स्र्र, पालिसीज और जो काम होने थे, वे काम नहीं हो पाये तो 2014 से 2017 तक उस बिल का पहला अमेंडमैंट आया और उसके तहत उसकी मियाद को तीन साल के लिए बढ़ाया गया। अब 2017 में उसकी मियाद खत्म हो रही है। दिल्ली में जो सारी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसके आल्टरनेटिव के अभाव में दिक्कत आनेवाली थी, इसलिए सैंकिंड अमेंडमैंट बिल लाया गया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं एक बार फिर से निवेदन करती हूं कि आप यह प्लेकार्ड न दिखायें। आपने ही रूल बनाया है कि प्लेकार्ड या इस प्रकार की कोई भी चीज लेकर हाउस में नहीं आओगे। उस रूल के अंतर्गत आप अपनी कार्रवाई के बारे में खुद ही जानो, आई एम सॉरी।

दूसरी बात यह है कि आपने जो इश्यूज उठाये हैं, माननीय मंत्री जी ने उसका जो भी जवाब दिया है, लेकिन रोज-रोज यहां एक इश्यू लाना हम अलाऊ नहीं करेंगे।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not fair.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: For that also, I am telling....आप लॉ मिनिस्टर से बात करो, वह बात अरेंज करेंगे। But not like this. ऐसे ही आप बोलोगे, अभी कुछ बोलो, ऐसा नहीं होता है। I am again requesting you to say that this is against the rules. रूल के मुताबिक या तो आप अपनी कार्रवाई खुद ही समझो और खुद ही अपने ऊपर कार्रवाई करो। आप सभी समझदार लोग हो।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am again requesting you all to go back to your seats. आज यह बिल पास करना जरूरी है और वह हमें कराना ही है।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (Interruptions)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी के रहते जो सही नॉर्म्स, सही पालिसीज और...(व्यवधान)

महोदया, सही नॉर्म्स, सही स्ट्रैटिजीस, सही पॉलिसी और सही कानून का निर्माण हो और उसी के आधार पर दिल्ली का विकास, दिल्ली का पुनर्विकास हो पाए, इस कारण से इसकी मियाद बढ़ानी पड़ रही है। ...(व्यवधान) खास तौर पर इस कानून के अंदर जो सर्वे का प्रावधान था, वह दिल्ली सरकार को करना था। ...(व्यवधान) दिल्ली सरकार ने अपनी मजबूरी बताई और इसके समय अनुसार वे नहीं कर पाए हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 17 मई, 2017 को एक इस प्रकार का एफिडेविट दिया कि उनको दो साल का समय और दिया जाए यानी सन 2019 तक का समय और चाहिए और उसी के रहते उन्होंने यह चिटठी शहरी विकास मंत्रालय को भी लिखी और जो सर्वे की कमी है, जो डाटा की कमी है, उसके रहते उस पर काम नहीं किया जा रहा है और इसलिए यह अमेण्डमेंट बिल लाया गया है। ...(व्यवधान) इस अमेण्डमेंट बिल में सही पॉलिसी के निर्माण के लिए जो समय चाहिए, इसकी गुंजाइश है और प्रकियाओं को सरल किया जाए, ताकि पुनर्विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, सन् 2021 का जो मास्टर प्लान है, उसमें हम जनता के सामने उपलब्धियां ला सकें और उस पॉलिसी को फाइनलाइज़ कर सकें। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया चलती है तो उसके अंदर मल्टीपल स्टेकहोल्डर्स होते हैं, जैसे इस प्रक्रिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर दिल्ली सरकार है। ...(व्यवधान) दिल्ली सरकार को पूरी दिल्ली का सर्वे कर के वह सारा डाटा उपलब्ध कराना है। ...(व्यवधान) साथ ही डीडीए, क्योंकि ज़मीन की लैण्ड ओनिंग एजेंसी डीडीए है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जल बोर्ड है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं और उन सबकी जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, वह शहरी विकास मंत्रालय है। ...(व्यवधान) जब इतनी सारी बॉडीज़ को, इतने सारे लोगों को, प्रशासनिक रूप से इकटठा काम करना पड़ता है तो उसकी कुछ समस्याएं रहती हैं और इसी के चलते बार-बार समय की मियाद को बढ़ाया जा रहा है। ...(व्यवधान) इसका मुख्य कारण सर्वे की अनउपलब्धि है, जो डाटा नहीं मिल पा रहा है, उसके बिना यह काम पुरा नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) स्टेकहोल्डर्स को काम करने के लिए अधिक समय चाहिए। ...(व्यवधान) इस एक्ट की वैलिडिटी, जो सन् 2011 की थी, केवल लिमिटिड समय के लिए उसकी मियाद को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अनऑथराइज्ड डेवल्पमेंट को एक प्रकार का प्रोटैक्शन मिला हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सात प्रकार के ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें प्रोटैक्शन उपलब्ध है। ... (व्यवधान) सबसे पहला तो झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर है। ... (व्यवधान) आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या बहुत अधिक है और उनके पुनर्विकास का प्रोसेस भी चल रहा है। ... (व्यवधान) जिसके अंदर तीन पुनर्विकास प्लान तो केंद्रीय सरकार कर चुकी है, उसकी शुरूआत हो चुकी है। ... (व्यवधान) एक तो मेरे ही संसदीय क्षेत्र में कठपुतली कॉलोनी का है, ऐसे ही साउथ दिल्ली के अंदर दो और हैं, वहां पर काम शुरू हो चुका है। ... (व्यवधान) दूसरा प्रोटैक्शन स्ट्रीट वैंडर्स का है,

यानी जितने रेहड़ी-खोमचे वाले लोग हैं, जो अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के लोग हैं, उनको भी प्रोटैक्शन उपलब्ध था। ...(व्यवधान) अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, गांवों की जो आबादी है, क्योंकि आज दिल्ली के अधिकृत गांव, गांव न रह कर शहरीकृत गांव हो गए हैं और शहरीकृत गांवों की जो हालत है, वह किसी स्लम से बढ़ कर ही है, घट कर नहीं है। ...(व्यवधान) इन सभी हालातों में उन शहरीकृत गांवों के समय की मियाद को भी बढ़ाना आवश्यक था। ...(व्यवधान) दिल्ली में फार्म हाऊसेज़ हैं। ...(व्यवधान) ज़मीन कम होने के कारण ढाई एकड़ के फार्म कई-कई जगहों पर परिवार के भीतर ही दो-दो जगहों पर बंट चुके हैं। ...(व्यवधान) दो या तीन फार्म बन चुके हैं। ...(व्यवधान) वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। उसी के रहते इसको टैंपरेरी तौर पर बढ़ाया गया है। ...(व्यवधान) स्कूल हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़े हैं, किसी भी शहर के लिए। ...(व्यवधान) रिलीजस स्ट्रक्चर्स हैं और क्लचरल इंस्टिट्यूशंस हैं। ...(व्यवधान) स्टोरेज की जगह हैं, गोदाम हैं और कहने को एग्रीकल्चर इलाका है यानी किसान की भूमि है, लेकिन उसके ऊपर गोदाम से ले कर तमाम तरह के शहरीकृत गांवों में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो कि दिल्ली शहर की लाइफ लाइन है तो उनको भी इसमें टैंपोरेरी प्रोटैक्शन दिया हुआ है। ...(व्यवधान) खास तौर पर जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, करोल बाग का इलाका है, ऐसे जो पुराने बसे हुए इलाके हैं, पहाड़गंज का इलाका है, उनको भी प्रोटैक्शन दिया गया है। ...(व्यवधान) एनसीटीडी दिल्ली को ये सब प्रोटैक्शन दिया गया है। ...(व्यवधान) इसमें जो एक्सेप्शन है, वह सेफ्टी को ले कर है और रैसिडेंशियल इलाकों के अंदर जो है, वह एक्सैप्शन है। ...(व्यवधान)

महोदया, यह एक्ट केवल पुराने एक्ट के समय को बढ़ा रहा है।...(व्यवधान) इसके पीछे जो मंशा है, वह दिल्ली के सुधार की है।...(व्यवधान) हम अपने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के सक्सेसर्स मानते हैं, लेकिन जो दिल्ली की हालत हुई है, वह पाप कर्म अभी तक चल रहा है।...(व्यवधान) उसको समयानुसार ठीक करना जरूरी है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अपने इलाके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो इसी से जुड़ा हुआ है, उसे आपके सामने लाना चाहती हूँ।...(व्यवधान) वह विषय यह है कि जितनी मार्केट्स सुप्रीम कोर्ट के कानून के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जब मैटर को टेकअप किया तो भूरे लाल कमेटी के माध्यम से जितने भी मार्केट एरियाज हैं, वे मेरे क्षेत्र में बन्द हुए हैं।...(व्यवधान) सभी की सीलिंग हो गई है।...(व्यवधान) वह सीलिंग ऐसे समय पर हुई है, जहाँ वर्ष 2006 के अंदर तत्कालीन जो सरकार थी, उसने 89 हजार रुपये का रेट फिक्स किया था।...(व्यवधान) यह रेट काफी ज्यादा है।...(व्यवधान) उस रेट को कम करके हम लोगों ने वर्ष 2014 में माँग की कि डीडीए उसको 22 हजार कर दे।...(व्यवधान) उस पर कार्रवाई, नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण इस तरीके की समस्या आई है।...(व्यवधान) जो इससे भी बड़ा विषय है, वह यह है कि जो

रेजीडेंशियल प्लाट्स हैं, जैसे डिफेंस कालोनी है, ग्रेटर कैलाश है, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर को दुकान में तब्दील करता है, बड़े-बड़े शोरूम बनाता है, तो उसका रेट केवल 6,146 रुपये है।...(व्यवधान)

उसका रेट 6,146 है, जो कि बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, उसका रेट 22 हजार है।...(व्यवधान) सबका कामर्शियल रेट, कन्वर्जन चार्ज एक ही होना चाहिए।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगी कि जब वे इस मैटर को टेकअप करें तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट इतने अच्छे-अच्छे काम कर रही है, इस काम में भी सहयोग करके एक ही रेट पूरे क्षेत्र के लिए मुकर्रर करें।...(व्यवधान) लोकल शापिंग एरियाज जो वर्ष 2001, 2012, 2014 से लगातार बदले हैं, उन सबको एक समान व्यवस्था के तहत निर्धारित कर दे।...(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान) दिल्ली देश की राजधानी है।...(व्यवधान) सरकार के द्वारा यह बिल डेट बढ़ाने के लिए लाया गया है।...(व्यवधान) यह बड़े शर्म की बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कीजिए, यह तो चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री रमेश विधूड़ी: महोदया, बीज ही इन्होंने बोये हैं।...(व्यवधान) बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों को जिस समस्या को फेस करना पड़ रहा है, उसकी जननी कांग्रेस है।...(व्यवधान) ये लोग सत्ता में थे और सत्ता में रहते हुए अनऑथराइज्ड कालोनियाँ तीन बार, 15 साल तक इनकी दिल्ली में सरकार रही, केन्द्र में ये लोग दस साल तक बैठे रहे और उसके बाद उन कालोनियों को पास नहीं किया गया।...(व्यवधान) उसके बाद एक ऐसे... * जिन्हें दिल्ली का एक ले-आउट प्लान बनाना है और बनाने के बाद सिविक एजेंसी के नाम से उनको देना है।...(व्यवधान) देने के बाद दिल्ली का जो मास्टर प्लान 2021 है, उसको लागू करना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: उसको लागू करने के बाद जो दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार के कारण, ब्यूरोक्रेसी की भ्रष्टाचारी, क्योंकि वे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि ये लोग 55 साल तक सरकार में रहे, डीडीए का काम लोगों को मकान बनाकर देने का था, पिछले 55 साल में डीडीए लोगों को मकान नहीं दे पाया।...(व्यवधान) दिल्ली में बाहर से जो लोग रोजी-रोटी की तलाश में आए थे, उनको रहने के लिए घर चाहिए था, जो दिल्ली के किसान थे, उनको कांग्रेस के जमाने में सरकार ने ठीक तरह से मुआवजा नहीं दिया।...(व्यवधान) उन लोगों को मजबूरी में सस्ते मुआवजे के डर के कारण अपनी जमीन फ्री होल्ड के रूप में बेचनी पड़ी,...(व्यवधान) जिससे दिल्ली के अंदर अनधिकृत कालोनियाँ बस गईं,...(व्यवधान) जिन्हें अनियमित कालोनी बोलते हैं।...(व्यवधान) वर्ष 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुराना जी के नेतृत्व में बनी थी, उसने आने के बाद सबसे पहले दिल्ली की सभी 900 कालोनियों को पास कर दिया।...(व्यवधान) केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरिसम्हा राव देश के प्रधान मंत्री थे, वे कालोनी वे पास ही नहीं कर पाये।...(व्यवधान) खुराना साहब ने एरियल सर्वे करवाया था।...(व्यवधान) उस एरियल सर्वे के अनुसार कालोनियाँ पास होनी चाहिए, लेकिन गलती से प्याज के कारण कांग्रेस की सरकार वर्ष 1998 में आ गई और कांग्रेस के लोगों ने, भू-माफियाओं ने उसके बाद दिल्ली की एग्रीकल्वरल लैंड के ऊपर अनेक

^{*} Not recorded

प्रकार की कालोनियाँ बसा दीं।...(व्यवधान) बसाने के बाद कांग्रेस ने उन कालोनियों को पास तो नहीं किया, लेकिन पास न करने के बाद हर साल उसकी डेट बढ़ाते रहे, जब चुनाव आते रहे।...(व्यवधान) ऐसा उन्होंने वोट बैंक की खातिर किया।...(व्यवधान) जिसके कारण आज दिल्ली के अंदर लगभग 2,639 अनिधकृत कालोनियाँ बस गई हैं।...(व्यवधान) अब उन कालोनियों में गरीब लोग रहते हैं।...(व्यवधान) वे गरीब लोग रहते हैं, जो रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली के अंदर आए थे।...(व्यवधान) वे आशियाना बनाकर रहते हैं।...(व्यवधान) दिल्ली में यह जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके संसद में तीन या चार एम.पी. हैं, वे सारे गायब हैं।

15.00 hrs

क्या उनको मालूम नहीं था कि 31 दिसम्बर, 2017 के बाद वह एक्ट समाप्त हो रहा है।...(व्यवधान) दिल्ली में गरीब लोगों के ऊपर तलवार लटकेगी, गरीब लोगों के मकान गिराए जाएंगे। ...(व्यवधान) कांग्रेस के लोग इसे गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं,...(व्यवधान) इसका मतलब है कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों को ये लोग पहले से ही मारना चाहते थे, दिल्ली को पहले से ही बर्बाद करना चाहते थे; वरन् श्री खड़गे साहब को चाहिए था कि वे लोग इस बिल के अंदर पार्टिसिपेट करें और दिल्ली के गरीब लोगों की समस्याओं को सामने ले कर आएं।...(व्यवधान) सरकार के ऊपर दबाव बनाकर, सरकार को कह कर कि इस बिल को पास करके लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

मैंडम, इस बिल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यह पहली बार वर्ष 2006 में आया था।...(व्यवधान) में बताना चाहता हूँ कि तब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी, केन्द्र में भी और एमसीडी में भी; तीनों ही जगहों पर कांग्रेस थी।...(व्यवधान) कांग्रेस लोगों को केवल लॉलीपॉप देने के नाम पर एक साल के लिए बिल लेकर आ गई।...(व्यवधान) वर्ष 2006 के नाम से दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2006 आया,...(व्यवधान) क्योंकि; उसके बाद दिल्ली में निगम का चुनाव होना था, यह एक साल के लिए बढ़ा दिया गया, वर्ष 2008 में असेम्बली का चुनाव था, इसलिए इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया, वर्ष 2009 में लोक सभा का चुनाव था तो फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया, इस प्रकार कांग्रेस* ... करती चली गई।...(व्यवधान) जब वर्ष 2011 में देखा कि वर्ष 2012-13 में असेम्बली का चुनाव होना है तो वह इस बिल को वर्ष 2011 के बाद तीन साल के लिए नेशनल कैपिटल टेरेटरी प्रोविज़न एक्ट के रूप में लेकर आयी।...(व्यवधान) उसके बाद उन्होंने तीन साल के लिए यानी वर्ष 2014 तक के लिए एक्टेंशन दे दी, लेकिन वर्ष 2014 के एक्सटेंशन के बाद, दिल्ली के निवासियों का यह दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक... * मुख्य मंत्री आ कर बैठ गया है। ...(व्यवधान) जिन्होंने लोगों को लॉलीपॉप देकर कहा कि मैं फ्री पानी व

* Not recorded

सस्ती बिजली दूँगा।...(व्यवधान) आज पानी का दाम 33 पर्सेंट बढ़ा दिया गया है, जब कि वह आदमी फ्री पानी के नाम से सत्ता में आया था।...(व्यवधान) उस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में, आज तक उन्होंने ले-आउट बनाकर नहीं दिया।...(व्यवधान) उन्हें एमसीडी को प्लान बनाकर देना था, उसकी बाउंड्री फिक्स करनी थी।...(व्यवधान) जिसके कारण इन कॉलोनियों को पास करना था।...(व्यवधान) हाई कोर्ट ने भी आर्डर किया हुआ है, हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास मत करो।...(व्यवधान) हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर डायरेक्शन दी हुई है कि दिल्ली की जितनी अनियमित कॉलोनी हैं, सरकार श्योरिटी दें कि उनको बेसिक अमेनेटिज़ प्रोवाइड कराएगी तो हम उनको पास कर देंगे।...(व्यवधान) यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है।...(व्यवधान)

मैडम, यह बहुत ही सेंसटिव मामला है, दिल्ली से रिलेटेड है।...(व्यवधान) अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, तीन साल से श्री केजरीवाल की सरकार बैठी है।...(व्यवधान) आज तक उन्होंने कितनी कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली हैं। ...(व्यवधान) इसलिए, कॉलोनी पास नहीं हो रही हैं। उन्होंने कितनी सड़कों को बनाया हैं। ...(व्यवधान) जिसके कारण लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है।...(व्यवधान) दिल्ली के लोग भय की वातावरण में जी रहे हैं।...(व्यवधान) अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, भूरे लाल कमेटी दोबारा फाउंड कर दी गई।...(व्यवधान) उस कमेटी ने आनन-फानन में काम किया, ...(व्यवधान) अभी नई दिल्ली से हमारी माननीय सांसद बहन मीनाक्षी जी बोल रही थी, वह बहुत क्लियर कह रही थी, ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि जो कंवर्ज़न चार्ज नब्बे हजार रुपये कांग्रेस के जमाने में तय किया गया था, ...(व्यवधान) अब हमारी सरकार ने आनरेबल मंत्री जी से बात की है, ...(व्यवधान) उसको घटाकर कम करने की बात की जा रही है। अगर उसको घटा कर 20 या 22 हजार रुपये तक भी ले आएं, तो लोग देने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

में आनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन करूँगा कि उसकी जो समय सीमा है, ...(व्यवधान) उसको बढ़ाकर आठ या दस दिन का टाइम दिया जाए, वे पैसा जमा करा देंगे और प्रोटेक्टेड हो जाएंगे।...(व्यवधान) में इस बिल के माध्यम से एक अन्य निवेदन करना चाहूँगा, ...(व्यवधान) जो लोग अनियमित कॉलोनियों में रहते हैं, जिन्होंने अपने घर की जमीन में अपना घर बना लिया, उनको जो प्रोटेक्शन है, ...(व्यवधान) उनको इन्फोर्समेंट से जो सुरक्षा देनी है, ...(व्यवधान) वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2017 तक हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने व माननीय श्री वैंकेय्या नायडू जी ने जो प्रोटेक्टेड एक्ट, 2014 बनाया था, ...(व्यवधान) उसे दिसम्बर 2017 तक बढ़ाया गया था। उन कॉलोनियों में रहने वाले जो लोग हैं, ...(व्यवधान) केवल अथोराइज्ड कॉलोनी स्टैंड करती है, जो वर्ष 2002 में स्टैंड करती थी, उसमें कुछ लोगों ने छोटे-छोटे मकान बना रखे हैं; एक कमरा, दो कमरा, उसको उन्होंने वर्ष 2007 में बनाया था।...(व्यवधान) आज बेटा बड़ा हो गया, वे तीन कमरे बनाना चाहते हैं।...(व्यवधान) उन कॉलोनियों के बीच में, आनरेबल मिनिस्टर साहब,

इनके प्रोटेक्शन को बढ़ा वर्ष 2020 तक करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।...(व्यवधान) क्योंकि, हमारे मोदी साहब कहते हैं कि दलित, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित वर्ग के लिए यह सरकार काम कर रही है।...(व्यवधान) अभी संविधान की... * कर रहे थे।...(व्यवधान) अंबेडकर जी के बारे में, चाहे भारत रत्न मिला, श्री वी.पी.सिंह की सरकार में श्री अटल जी और श्री आडवाणी जी के प्रयास से उनको मिला।...(व्यवधान) उसके बाद, अगर हम गरीबों की बात करें, तो गरीबों को हक तथा अधिकार मिल रहा है।...(व्यवधान) आज उनके घर में चाहे बाथरूम बनाने की बात हो, चाहे हर गरीब को मकान देने की बात हो, ...(व्यवधान) इस काम को मोदी सरकार कर रही है।...(व्यवधान) इसलिए, मेरा निवेदन है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब एक्सटेंडेड आबादी ऑफ विलेजेज़ और जो अनियमित कॉलोनी है, ...(व्यवधान) उसकी डेट बढ़ा कर जो रिहैब्लिटेशन की गई है।

उसको बढ़ाकर 2020 यह सरकार करेगी, ऑनरेबल मंत्री करेंगे।...(व्यवधान) ऑनरेबल मंत्री जी गरीब की पीड़ा को समझते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स गुमराह करते हैं। ...(व्यवधान) उनके अपने इंट्रेस्ट होते हैं। ...(व्यवधान) वे चाहते हैं कि अगर यह बन गया तो ब्यूरोक्रेट जाकर उनके घरों में, दिल्ली के अन्दर यह एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है, 81 और 33, उस 81 के अन्दर मेरी जमीन है। ...(व्यवधान) में अपनी जमीन पर घर बना रहा हूं। ...(व्यवधान) मुझे धमकी देते हैं कि 81 के अन्दर उसको हम वेस्ट ग्राम पंचायत में कर देंगे। ...(व्यवधान) जो आदमी खरीदता है, वह तो अधिकारियों को पैसे दे देता है। ...(व्यवधान) जो अपने घर का मकान बना रहा है, जो गरीब है, किसान है, वह पैसे नहीं देता है। ...(व्यवधान) उसकी जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट करके वहां डिमोलिशन कर दी जाती है। ...(व्यवधान) दिल्ली के अन्दर ऐसी 70 पसेंट जगहें हैं, जहां पर मकान बने हुए हैं, लेकिन डिमोलिशन 20 या 30 पसेंट हो करके, वेस्ट दिखाकर पैसे ऐंटते हैं और बदनाम पॉलिटिशियन होते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मेरा ऑनरेबल मिनस्टर साहब से निवेदन है कि अपने निजी मकान के अन्दर, अपनी जमीन पर मैं मकान बना रहा हूं, तो मुझे उसकी प्रोटेक्शन दिसम्बर, 2017 तक मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द। ...(व्यवधान)

* Not recorded.

_

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Speaker Madam, I am thankful to you because you have given me an opportunity to speak on this subject. This Constitution amendment Bill, that is, the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill 2017 is necessary because the time limit is going to expire by 31st December 2017.

माननीय अध्यक्ष : आप मेंबर और मेरे बीच में बाधित हो रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। मेंबर और मेरे बीच में बाधित मत बनिए, बीच से हट जाइए।

...(व्यवधान)

Hon. Speaker: This is not fair. He is speaking; I must see him.

... (Interruptions)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: My point is that we do not belong to the Municipal Corporation of Delhi or the urban area of Delhi; we belong to rural areas of India. Our concern is that in different newspapers news has come that the State Government is saying that any construction within the Delhi area can be taken up after getting permission from the State Government. This is one school of thought. ... (*Interruptions*) But the Central Government in Supreme Court pleaded that Delhi was not a State and the Constitution does not vest any exclusive executive power on the State Government. ... (*Interruptions*) This is the approach of the Centre. The Solicitor General is also telling that since the national Capital Territory belongs to the entire nation, the Central Government has got the right to act in certain laws.

I think the amendment Bill deals with seven points and every point is genuine and in time bound manner it is fixed. But the question is what the role of the Central Government is and how they can take the opinion of the State Government so that things may be implemented properly. ... (*Interruptions*) It is because the State Government and the Central Government are both representatives of the people. So, every representative's duty is development of the nation. My concern is how there can be a combination or cooperation between the Centre and the State. ... (*Interruptions*) Therefore I request through you that

the hon. Minister should take cognizance of the State Government's opinion and accordingly they should move forward for the development of the people of Delhi. Thank you.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): स्पीकर मैडम, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना पार्टी के सदस्य जो यहां शोर मचा रहे हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप 365 दिनों में से 250 से 265 दिन दिल्ली में रहते हैं। यह दिल्ली से संबंधित विषय है। जो गांव में रहते हैं उनसे संबंधित विषय है, जो गरीब लोग हैं उनसे संबंधित विषय है। मैं तेलंगाना पार्टी के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने हाई कोर्ट की बात दिल्ली के विषय के बाद रखिए। जब दिल्ली में गरीब आदमी का विषय चल रहा हो ...(व्यवधान) जब किसान का विषय चल रहा है, ये लोग दिल्ली का पानी पीते हैं, दिल्ली में सांस लेते हैं, दिल्ली के विषय में दखल देते हैं, यह बात ठीक नहीं है।

मैं सभी सदस्यों को दिल्ली की कहानी बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) अगर किसी सदस्य ने कभी नहीं सुना होगा, वर्ष 2006 में दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी तब दिल्ली शॉपिंग मॉल बनने शुरू हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मोनिटरिंग कमेटी बनाई थी जिससे दिल्ली में सीलिंग होनी शुरू हुई। सारी शॉप्स और कॉलोनियां सील होने लगी, उसके बाद दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया, ...(व्यवधान) मगर आज भी पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में सीलिंग चल रही है। मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बिल को एक्सटेंड करने की वजह से दिल्ली के लोगों को लाभ मिलेगा, ...(व्यवधान) उनको राहत मिलेगी और सिलिंग की कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। वह कैसे मिलेगी। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड में अगर हॉस्पीटल बना है, अगर स्कूल बना है, अगर फार्म हाऊस बना है, ...(व्यवधान) अगर सरकार कहती है कि अवैध है तो यह उन आदिमयों की कोई गलती नहीं है जिनके घर हैं, मकान हैं। यह सरकार की गलती है, दिल्ली में 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने आज तक कोई कानून नहीं बनाया। ...(व्यवधान) दिल्ली में 70 लाख लोग 1700 कॉलोनियों में रहते हैं आज भी उनकी कॉलोनी ऑथराइज्ड नहीं है।

मैडम, इनकी वजह से मुझे तेज बोलना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, मैं सुन रही हूं, आप आराम से बोलिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: स्पीकर मैडम, अगर किसी भी सदस्य का बीपी बढ़ गया तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है। ...(व्यवधान) मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को सवा तीन साल पूरे हो गए, ...(व्यवधान) वह गरीब लोगों का वोट लेकर सपने दिखाकर गद्दी पर पहुंचे, मगर सवा तीन साल में एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई, दिल्ली में एक भी गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ा। ...(व्यवधान) दिल्ली में एक भी झुग्गी वाले को मकान नहीं मिला। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। ...(व्यवधान) इसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। अगर आज-कल छतरपुर एरिया में सिलिंग हुई, दो दिन पहले डिफेंस कॉलोनी के मार्केट में सिलिंग हुई। दिल्ली में लोग डर रहे हैं, ...(व्यवधान) वे सो नहीं पा रहे हैं उनको लगता है कि कल मेरा नम्बर आएगा। कल मेरी दुकान की सिलिंग हो जाएगी।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस कानून को पास किया जाए और दिल्ली के ऑनआथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइडज्ड करने के लिए, गांव का लाल डोरा बढ़ाने के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के मकान दिलाने के लिए इस बिल में शामिल करें, ...(व्यवधान) उनको राहत दें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं। ...(व्यवधान) दिल्ली में कोई भी स्लम पॉलिसी नहीं है। दिल्ली में ऑनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए पॉलिसी नहीं है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

वर्ष 2007 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, अनआथोराइज कॉलोनियों को प्रोवीजनल सर्टिफिकेट बांटे। क्या दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास हुई? यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉलोनियों को पास करे, विकास करे, कॉलोनियों में बिजली दे, पानी दे, सड़क दे, सीवर दे। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें फेल हो गई। दिल्ली सरकार की नाकामी से दिल्ली में सीलिंग की तलवार लोगों पर लटकी हुई है।...(व्यवधान)

आज आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि दिल्ली में पानी का 30 प्रतिशत दाम बढ़ गया है। वे कॉलोनियों तो पास नहीं कर पाए, गरीबों को सुविधा नहीं दे पाए लेकिन पानी का बिल 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है और पूरे देश में कहते हैं कि हम दिल्ली को मुफ्त में पानी देते हैं। ...*

माननीय अध्यक्ष जी, 31 दिसंबर को यह एक्ट एक्सपायर हो रहा था, मैं भारत सरकार और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसे 1 जनवरी, 2020 तक बढ़ाकर दिल्ली को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनकी प्रशंसा करता हूं।...(व्यवधान) जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में प्रजीडेंट रूल था, माननीय वैंकेया नायडु केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे, वह वर्ष 2014 में बिल लेकर आए थे। यह बिल पहली बार लेकर आए थे, पूरी दिल्ली को सुरक्षित किया था कि 2014 तक जो भी अनऑथोराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन है, गांव में कंस्ट्रक्शन है, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। ...(व्यवधान) इसका वर्ष 2017 तक टाइम था।

में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को बुलाइए, एमसीडी को बुलाइए, डीडीए को बुलाइए, हम कब तक तारीख बढ़ाते रहेंगें। वर्ष 2006 से 2017 तक 11 साल हो गए हैं, तारीख बढ़ती जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के एक करोड़ लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं लेकिन कोई बिल्डिंग बाए लॉज़ नहीं है। ...(व्यवधान) वे अपने मकान का नक्शा पास नहीं करा सकते। कानून की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होने के बावजूद वे मकान बनाते हैं तो वहां सरकारी लोग आते हैं और ये लोग उनको पैसा देते हैं। इस तरह से सरकारी अधिकारी उनसे पैसा लेकर जाते हैं। ये लोग मकान अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, रोजी-रोटी कमाकर बनाते हैं।

^{*} Not recorded.

...(व्यवधान) दिल्ली में मकान बनाने की कोई पॉलिसी नहीं है, अनऑथोराइज कॉलोनियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, गांव के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, झुग्गी-झोपड़ी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, यही कारण है कि गरीब आदमी दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से पैसे देकर मकान बनाता है, झोंपड़ा बनाता है। ...(व्यवधान) पॉलिसी न होने की होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी वहां जाकर सीलिंग कर देती है। यह ठीक नहीं है, गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2011 के एक्ट में क्लॉज़ 2 के सैक्शन 4 में कहा गया है -

"In respect of all other areas within the National Capital Territory of Delhi, as on 8th February, 2007, shall be maintained."

मैं मंत्री जी से दरखास्त करना चाहता हूं कि 8 फरवरी, 2007 को बढ़ाकर 2014 तक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अनऑथोराइज कॉलोनियों की तारीख 2014 रखी गई थी यानी वर्ष 2014 तक जो भी मकान बने हैं, उनको तोड़ा नहीं जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट करके कट ऑफ डेट को 2017 कर दें तािक अनऑथोराइज कॉलोनियों और गांवों में जो गोदाम, मकान, स्कूल बने हैं, जो डिस्पेंसरियां बनी हैं, टूटने से बच जाएं।

कांग्रेस के लोग केवल यहां सदन का समय खराब करने के लिए और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। मैं तेलंगाना पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का विषय आएगा तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have been called to speak on The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसलिए आप सब इनके सामने मत आइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राजीव सातव जी, आप माननीय सदस्य के सामने मत आइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब माननीय सदस्य को बोलने में बाधित मत कीजिए।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I protest that I have been called so late to speak after three BJP Members and one BJD Member have spoken. This is my first protest.

My second protest is that Bills should not be passed in a din – neither this Bill nor the GST Bill. Thirdly, in a situation where an hon. Minister of the Central Government and the hon. Minister of State for Skill Development has openly attacked the Constitution, insulted Dr. B.R. Ambedkar and called those who are secularists, as people who do not know about their parents, there is no point in speaking about it. The hon. Minister has insulted the whole Constitution. This whole Parliament has been called to shame. That is why, I am refusing to speak on The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017. You are the hon. Speaker of this House. Do not make it a practice to pass the Bill in a din. The whole House is standing here and so many people are protesting. You should not pass the Bill in a din. You rather call the hon. Minister, chastise him and pull him up for insulting the Constitution. How can he, merely the hon. Minister of State for Skill Development, insult Dr. Ambedkar and the makers of the Constitution and then, come to the House and speak about this.

Madam, that is why, I am refusing to speak on this Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, मगर रोज-रोज हाउस को इस प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता। बाकी सब लोग इस डिबेट में भाग लेना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए यह बिल आवश्यक है और 31 तारीख से पहले यह बिल पास करना भी आवश्यक है। इसलिए आप सहयोग कीजिए, नहीं तो ऐसे ही बाकी लोग बोलेंगे और बिल पास करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली विधियां (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, सरकार इस संशोधन द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान, 2017, डीडीए, एमसीडी के नियमों में मुख्यतः संशोधन करना चाहती है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश भर से लोग दिल्ली में आकर रहते हैं। केन्द्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, दिल्ली विश्विवद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या अगल-बगल के लोग है, वे सब दिल्ली में आकर रहते हैं। आज दिल्ली में पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से आबादी बढ़ी है, उससे आवासीय सुविधा भी मूलतः समाप्त हो चुकी है। यहां लगभग 1700 के करीब अनाधिकृत कालोनियां हैं। स्लम सैक्टर में जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भी बहुत बढ़ा है। आवागमन का भी साधन नहीं है। जब से मेट्रो बनी है, तब से कुछ राहत मिली है। आज दिल्ली में भयंकर प्रदूषण का प्रकोप है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का जीना मुश्किल है। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरुरत है। एनजीटी भी अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह नहीं निभा रहा है। खासकर वाहनों का दबाव इतना अधिक है कि प्रदूषण पर रोक नहीं लगायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, आज दिल्ली की सबसे प्रमुख समस्या अनाधिकृत कालोनियों के विकास से संबंधित है। दिल्ली में करीब 1700 अनाधिकृत कालोनियां हैं, जिनमें करीब 80 लाख लोग रहते हैं। उनमें हमारे राज्य के भी पांच से दस लाख लोग रहते हैं। अनिधकृत कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से काफी परेशानी होती है। पहले मास्टर प्लान 2020 लाया गया, अब पुनः मास्टर प्लान, 2021 बन गया है। वहां पर सभी सुविधाएं हों, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेट्रो की पहुंच हर इलाके में होनी चाहिए, डीटीसी की सुविधा पूर्णरूपेण होनी चाहिए, पीने के पानी की उपलब्धता होनी चाहिए और सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से दिल्ली की अनिधकृत कालोनियों में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं, वे होनी चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए केन्द्र द्वारा समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार कानून बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। आज केन्द्र और राज्य के बीच जो मतभेद का माहौल बना है, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल एवं केन्द्र सरकार के बीच हमेशा हितों की टकराहट हो रही है। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि दिल्ली की समस्याओं के निदान के लिए जो बिल आप लाएं, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: दुष्यंत चौटाला जी, क्या आप इस बिल पर बोलना चाहेंगे? यह बिल दिल्ली के बारे में है।

श्री दुष्यंत चौटाला(हिसार): मैडम, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का अधिकतम हिस्सा ऐसा है जो आज खेती-बाड़ी को जीवित रखकर बैठा है, जिस दिल्ली को चौधरी देवीलाल ने बचाने का काम किया था, अन्यथा डीडीए और एमसीडी ने एक समय ऐसी हालत पैदा कर दी थी कि 75 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार किसान की जमीन कब्जा करने का कार्य कर रही थी।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब हम इस बिल की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार की फेल्योर सामने आ रही है कि वर्ष 2011 से 2014, वर्ष 2014 से 2017 और आज वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक हमें दिल्ली के कानूनी दायरे को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2021 का मास्टर प्लान, जो कोर्ट के दिशानिर्देशानुसार सरकार को बनाना चाहिए था, आज सरकार उसे पूरी तौर पर नहीं बना पाई है और वर्ष 2021 हमारे बहुत पास है। आज अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें तो वर्ष 2031 तक के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं और हरियाणा में गुड़गांव जैसे शहर को वर्ष 2035 तक डेवलप कर गए थे। आज जो जरूरी चीज देखने वाली है, माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, इस मास्टर प्लान से हम गरीब आदमी को राहत दिलाने का काम करें। मैं प्रवेश जी की बात का समर्थन करूंगा, उन्होंने कहा कि आपकी जो लिमिटेशन्स हैं, उसको वर्ष 2011 से 2014 और 2014 से 2017 करने का काम करें, मगर माननीय मंत्री जी इस चीज पर भी विचार करें कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा गैरकानूनी काम कर रहा है तो वह हमारा सरकारी महकमा कर रहा है। आज ईस्ट किदवई नगर डेवलप कर दिया गया, लेकिन सड़कों की एक्सपैंशन नहीं की गयी। वहां 2000 नए सरकारी निवास बना दिए गए, लेकिन वहां कोई एक नया रास्ता नहीं बनाया गया है। आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से अगर कोई सबसे बड़ा डेडलॉक होगा तो वह आपका एनबीसीसी द्वारा बनाया गया ईस्ट किदवई नगर होगा। आज एक गरीब आदमी के घर पर जेसीबी चल जाती है, सीलिंग हो जाती है, लेकिन जब सरकार ही कानून का फायदा उठाकर ऐसे काम करती है तो उसके लिए भी सरकार को जवाब देने की जरूरत है। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहुंगा। कल डीडीए द्वारा एक ब्लाइंड हॉस्टल तोड़ दिया गया। वह अन्धे बच्चों का हॉस्टल था, वे लोग कागज नहीं दिखा पाए, इसलिए सरकार ने वहां अपना लोहे का पंजा चलाने का काम किया। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि आने वाले समय में, तीन साल का एक्सटेंशन हम इस बिल के माध्यम से दे रहे हैं, तो उन लोगों को राहत जरूर मिलेगी, जो आज कहीं न कहीं इन मुद्दों पर प्रताड़ित और शोषित हैं। जब भी सुनने में आता है कि सीलिंग हो रही है, जेसीबी से तोड़-फोड़ हो रही है तो वहां कभी सरकारी बिल्डिंग्स की इररेगुलरिटी पर चर्चा नहीं होती, किसी बड़े पूंजीपति की फैक्टरी या गोडाउन की चर्चा नहीं होती। अगर कोई गरीब आदमी अपना जीवन चलाने के लिए कोई व्यवसाय बनाता है लाल डोरे एरिया में, तो वहां पर इस देश के सारे कानून लागू हो जाते हैं। मैं

आपको एनजीटी के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हौजखास विलेज बन्द करने का आदेश दे दिया गया। आज भी वहां लाल डोरा क्षेत्र में खाने के ऐसे फूड ज्वाइंट्स चल रहे थे, उन पर सरकार द्वारा यह कहकर ताले लगा दिए गए कि वे अपने नियमों को पूरी तौर पर लागू नहीं कर पाए।

मेरा यही निवेदन है कि हम एक्सटेंशन तो जरूर देने का काम करें मगर सरकार से आश्वासन भी जरूर चाहिए कि इस एक्सटेंशन के दौरान मास्टर प्लान भी उन लोगों के लिए बनेगा जिनके लिए आज कानून में हमारे पास कोई भी प्रावधान नहीं है। हम मास्टर प्लान के माध्यम से उन लोगों को वह राहत भी दिलाने का काम करेंगे कि आने वाले समय में उन लोगों के घर न टूटें, उनके गोदाम न टूटें और उनके स्कूल न टूटें।

उनके आज के दिन जो खाने-पीने के साधन के व्यवसाय हैं, उनको भी प्रोपर सिक्योरिटी देने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आपको बिल पर बोलना हो तो ही बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका)ः माननीय अध्यक्ष जी, आपने आदेश दिया है। मेरा भी अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के संबंध में चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बोलने वाले सदस्य को बाधित नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष जी, इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान कहा गया लेकिन आज दिल्लीवासी को न रोटी मिल रही है, न कपड़ा मिल रहा है और न ही मकान मिल रहा है। उसको न पर्याप्त बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है, ...(व्यवधान) न ही शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास सुविधाएं मिल रही हैं। जो गरीब और दिलत लोग हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली देश की धड़कन है। यहीं पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बस आपकी बात पूरी हो गयी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This will not go on record.

...(Interruptions) *

^{*} Not recorded.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं बोल रहा हूं, क्या आप सुन पा रही हैं? मैं दो रोज से अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि चेयर से वार्ता तभी हो सकती है जब वैल में जाएं और अगर वैल में नहीं जाएं तो वार्ता नहीं होगी। यह गलत है। जो बिल यहां लाया गया है, चूंकि कानूनन दिल्ली फुल-फ्लैज्ड असैम्बली नहीं है और यह नेशनल कैपिटल टैरेटरी बिल पूरा केन्द्र के क्षेत्र में आता है, लेकिन पुरानी सरकार पर लांछन लगाया जा रहा है। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: किसी को बाधित न करें। बोलने वाले सदस्य को बाधित न करें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am requesting you again and again that this is against the rule. सदस्य को बाधित नहीं करें।

...(व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM: Madam, this is your duty to bring the House in order and you have to protect my right. I am sorry to say this that this is my right and it is your duty. Unless you bring the House in order, how can we pass a Bill which has such ramifications? इसका कारण सिर्फ ये सदस्य नहीं हैं। जब मंत्री महोदय ने बिना किसी बिल के दो बार भाषण दे दिया, मंत्री संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं, ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It seems you do not want to speak on the Bill. Nothing will go on record.

...(Interruptions) *

_

^{*} Not recorded.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam Speaker, I want to start by thanking all the hon. Members who have taken the floor to support the provisions of the Bill.

This Bill provides protection against punitive action on a number of categories and unless this Bill is passed by 31st of December 2017, Delhi will witness unprecedented chaos. Some of the chaos was started by my friends in the Congress Party whose actions for the many years that they were in power resulted in irresponsible, unauthorised constructions etc. and failure of governance of a very high order.

Madam, let me start by explaining the history of this issue. When India became an independent country, Delhi's population was less than 10 lakhs. In the 1951 census Delhi's population had gone up to 17 lakhs because of the ravages of the partition and the number of people who had come in from across the border.

According to the 2011 census, the population of Delhi was 167 lakhs. According to the estimate today which is the figure for 2016, Delhi's population should be around 186 lakhs. Today, we are witnessing phenomenal growth. This growth has consequences. These consequences are reflected in encroachment of public land, in the growth of slums, in unauthorised constructions, large scale commercialisation of residential areas and inadequacy of housing. The Master Plan of 2021 which as finalised in 2007 shows that the population of Delhi in 2021 will be 2.30 crores.

During this period, a large number of people like 22 lakhs have come in from other States within the country. We also have a large number of people who have come in from outside the country also. These are issues which are being dealt with separately.

The Delhi Laws Special Provisions Act was enacted in order to be able to provide cover against punitive action. This Bill today seeks to amend on an 'as is where is basis'. The law which was enacted in 2011 was extended till 2014. Then

from 2014, it was extended upto 2017 and today, the 2017 Act is being extended on an 'as is where is basis' till 31st December, 2020.

The only two changes that are being brought in are regarding the seven categories which I will read out. In one of the categories in respect to street vendors, we already have a separate legislation which will provide protection to street vendors. These seven categories are slum dwellers and *jhuggi jhompri* clusters, urban street vendors which is proposed to be omitted from the Bill, unauthorised colonies, village abadi areas including urban villages and their extensions, existing farm houses involving construction beyond permissible building limits, schools, dispensaries, religious and cultural institutions, storages, warehouses and go downs built on agricultural land, existing go downs, special areas, walled city, walled city extension in Karol Bagh, all other areas within the National Capital Region of Delhi.

Why are we seeking this extension? Speaking on this Bill, my distinguished predecessor said that it will be his best endeavour not to have to come back to seek an extension. But the hon. Member, Shri Dushyant Chautala, while speaking, said that this is the failure of the Government. I want to remind that the Central Government, according to the directive of the hon. High Court is required to interact in a consultative process with the Government of Delhi, DDA and other authorities in order to be able to frame policies, devise guidelines and ensure orderly arrangement.

I want to remind the hon. Member, Shri Dushyant Chautala, that the Delhi Government gave an affidavit before the High Court in September this year saying that they require two more years in order to be able to complete the delineation of what is an unauthorised colony and what is an authorised colony in terms of the cut-off dates which are provided.

Now, one of the problems which we are facing is, meanwhile there is a separate sealing process which the hon. Supreme Court has started on.

Therefore, this Bill only deals with the issues which this Bill has dealt with in the past, that is, as is where is extension of the Bill of 2017. The only two amendments that are being made are to substitute the words "upto 31 December, 2017" by "upto 31 December, 2020" and removal of the street vendors legislation because on that, we have a separate legislation which has already seen the light of the day and which will afford protection.

Some Members raised the issue of unauthorised encroachment on DDA land and the demolition of the so-called hostel for blind students.

I want to set the record straight. This hostel was an unauthorised construction on the DDA land. They were served not one but four notices to shift. The DDA offered the adjoining hostel in order to shift the blind students who were there. But for a variety of reasons they decided to make it an issue in the Press.

Let me explain. This was an incident which took place on 15th December which is exactly 12 days ago. Now, we have a situation where the students have already been shifted to a proper hostel nearby. But the students are being made the excuse. As I mentioned to the hon. Member when he spoke to me, this is not an issue of blind students there. There were only a few inmates. They were already offered to be housed in proper school for the blind children in a nearby facility. But there is somebody taking advantage of this situation in order to run an unauthorised facility.

I want to take up one or two other issues which have been raised here. One of the issues raised by an hon. Member has been the equalisation of the conversion charges or the misuse charges, which was Rs. 89,000 earlier. In the Monitoring Committee Shri Bhure Lal and another hon. Member are participating. There have been some discussions that those affected by this sealing could pay a charge which comes to approximately Rs. 22,000 by way of misuse charge.

We are dealing with that issue. Several other issues have been raised by hon. Members which may be residual issues which are not covered by all the

seven categories that I have mentioned. But it is only six now because the whole business about the street vendors is now covered by a separate legislation.

After the passage of this Bill, I will consult the Ministry of Law, and all the other stakeholders. We need to ensure that within the time of extension that we will be provided by the passage of this Bill today, all the procedures are completed in consultation with the Delhi State Government and the other multi-stakeholders who are involved in the process so that we can finally get Delhi back to authorised construction.

I must confess that I was struck by some of the language used by the Supreme Court in its judgement on 15th December. Justice Lokur said, "Invaders have pillaged Delhi for hundreds of years, but for the last couple of decades it is being ravaged by its own citizens and officials governing the city Capital."

I want to appeal to all citizens, through your good offices madam and to those who have been in governance role in Delhi to now assume a more responsible role and to try and cooperate so that this plunder and pillaging of Delhi which has gone on for so many decades, including under their governance, is rectified.

I move now that the Bill be adopted.

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Long Title

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present in the seat.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill. Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Amendment of section 1

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present in the seat.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted. Clause 4 was added to the Bill.

\

Clause 5 Amendment of section 3

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present in the seat.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.45 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS ... Contd.

(iii) Re: Need to establish a separate High Court for Telangana

HON. SPEAKER: Shri Ravi Shankar Prasad, do you want to say something? THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam Speaker, taking cognizance of the sentiments of my friends from Telangana about formation of a separate High Court, I have noted their suggestion. I will enquire about the facts and I will make some observations tomorrow. ... (*Interruptions*)

15.47 hrs

(At this stage, Shri Konda Vishweshwar Reddy and some other hon. Members went back to their seats.)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, our Law Minister Shri Ravi Shankar Prasad has really taken cognizance of our feelings and said that he would come back to the House tomorrow with a statement. We would like to submit that many assurances have been given to us on this matter for the last 3 ½ years. So, when he comes back to the House tomorrow, I would request him to come with a concrete solution and tell us the time-bound programme as to when the Government is going to create a separate High Court for the State of Telangana. For now, we allow the House to run properly. We will cooperate with you.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I request all of you to go back to your seats.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अब हमें जी.एस.टी. का बिल लेना है। प्लीज़ कोऑपरेट। ऐसे नहीं होता है। Please to back to your seats.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जी.एस.टी. एक महत्वपूर्ण बिल है। आप सब प्लीज़ अपनी सीटस पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

15.48 hours

CLARIFICATION BY MEMBER ... Contd.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, माननीय खड़गे साहब और अन्य सदस्य जिस मुद्दे के बारे में इतना आंदोलित हैं, उस विषय को दोपहर में भी उठाया गया था। हमने उस विषय का रिस्पॉन्स दिया है। ... (व्यवधान) डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, ... (व्यवधान) उस संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए., हमारे नेतृत्व तथा पूरे देश को अटूट विश्वास है। ... (व्यवधान) उसमें सेक्युलरिज़्म और बाकी विषयों के बारे में जो बातें रखी गई हैं, उन सभी बातों के प्रति भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किमटेड है। ... (व्यवधान) यह बात मैं उनको आश्वस्त कर चुका हूँ। ... (व्यवधान) इसिलए किसी बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करना और यहाँ हंगामा करना उचित नहीं है।

मैं आपके द्वारा एक बार पुनः यह निवेदन करूँगा कि सभी लोग अपनी सीटों पर जाएं और हाउस को चलने दें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगी। आई एम सॉरी। खड़गे जी, क्या आप बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

15.49 hrs

(At this stage, Shri K.H. Muniyappa and some other hon. Members went back to their seats.)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बाकी लोगों को पीछे जाने को तो बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ये सब मेरे साथ रहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये लोग आपकी सीट पर आपके साथ खड़े रह सकते हैं। अभी आप इतने कमज़ोर तो नहीं हैं, खड़गे जी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं आपके साथ हूँ और ये लोग मेरे साथ हैं।

मैडम स्पीकर, यह जो मामला हमने उठाया था, यह एक गंभीर मामला है। इसके संबंध में एक यूनियन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे हम आपके नोटिस में लाकर सारे देश को यह बताना चाहते हैं कि एक मंत्री होते हुये उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जो मनुस्मृति थी, उसके जाने के बाद अब अंबेडकर स्मृति आई है, इसीलिए उसे बदलना है ...(व्यवधान) इसीलिए हम चुनकर आए हैं। ...(व्यवधान) दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो अपने को सेक्यूलर कहते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो गए हैं, यह बोल तो रहे हैं। आप बहुत सेक्यूलर हैं, बैठ जाइए...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: जो अपने को सेक्यूलर कहते हैं, न उनकी मां है, न बाप है।...(व्यवधान) उनका खून क्या है, मालूम नहीं है? इसका मतलब उनका बाप नहीं है, मां नहीं है तो क्या वे ... * हैं...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: आप यह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसे शब्द यहां क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: ऐसे शब्द उन्होंने कभी नहीं कहे...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसा उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई नहीं बोलेगा। यह शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हमें नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला है?

_

^{*} Not recorded.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nobody knows, what he has said. प्लीज़, आप अपनी तरफ से कुछ भी मत बोलिए।

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस समय माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं, उनको पकड़कर तो नहीं ला सकते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No. It cannot go on like this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this. I am sorry.

...(Interruptions) *

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, आप क्यों पढ़ रहे हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

...(Interruptions) *

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, केवल अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)*

HON. SPEAKER: It will not go on like this.

...(Interruptions) *

माननीय अध्यक्ष : केवल मेरे द्वारा कहे गए शब्द "Nothing will go on record" ही रिकॉर्ड करते रहिए, जब तक ये बोलना बंद नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow like this.

_

^{*} Not recorded.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप पहले मेरी बात सुनिए। पहली बात तो माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं। अनंत कुमार जी, जो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारी बात को क्लीयर कर दिया है। आप इस तरह से कोई भी बात बोलकर मंत्री जी के मुंह में नहीं डाल सकते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow all these things here.

... (Interruptions)

श्री अनन्तकुमार: मैडम, खड़गे साहब ने पूरे बयान को तोड़-मरोड़कर सदन के सामने पेश किया है...(व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा और वह शब्द रिकॉर्ड में भी नहीं आना चाहिए।...(व्यवधान) खड़गे साहब का शब्द है, अनंत कुमार हेगड़े जी का शब्द कतई नहीं है। ऐसे शब्दों का वह कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे...(व्यवधान) मैं खड़गे साहब को इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान के प्रति कटिबद्ध है, हम संविधान से किमटिड हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास है। इसके अलावा मैं खड़गे जी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को कृपया चलने दीजिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग भी समझिए। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसी तरह से हर रोज़ किसी न किसी बात पर यह होगा। लेकिन लोगों के विश्वास को कायम रखते हुए अपनी भाषा पर कंट्रोल रखने की हम सभी को आवश्यकता है। यहां रोज़-रोज़ कोई नई चीज लाकर हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। बहुत से महत्वपूर्ण बिल पारित करने हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और मुझे सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

15.54 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION TO STATES) ORDINANCE, 2017

AND

GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION TO STATES) AMENDMENT BILL, 2017

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Items 26 and 27 together. Shri N.K. Premchandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

"That this House disapproves of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 5 of 2017) promulgated by the President on 2 September, 2017."

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move:

"That the Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration."

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandranji, would you like to speak?

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam Speaker, this is a very serious and a very important subject that is GST.... (*Interruptions*) This Bill is coming up after six months. So, we all want to have a deliberate discussion.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप कम से कम बिल में सहयोग कीजिए, प्लीज ऐसा मत करो।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, my point is that the Business Advisory Committee has allotted four hours for this discussion. ... (*Interruptions*) So, my submission is that kindly put the House in order so that we can have a structured discussion on GST.... (*Interruptions*) Otherwise, passing a Bill like this is not proper and we are creating a bad precedent. ... (*Interruptions*) So my

humble submission before the hon. Speaker is to have the House in order so that we can have a full structured discussion. ... (*Interruptions*) Kindly adjourn the House for half-an-hour and have a discussion with party leaders. Kindly resolve the situation and have the discussion... (*Interruptions*) That is my humble submission. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्या उसके बाद कुछ हल निकलना है?

15.53 hrs

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, kindly adjourn the House for half-anhour and have a discussion with the party leaders. ... (*Interruptions*) It is because if such an important Bill is passed in such a way, it is not proper, Madam.... (*Interruptions*) So, kindly have a meeting with the party leaders. Kindly resolve the issue.... (*Interruptions*) It is because we have a lot to speak. ... (*Interruptions*) Madam, GST is very very important. It has been implemented from 1st July. It has come into force. ... (*Interruptions*) Six months have elapsed. We want to highlight the impact of the implementation of GST but unfortunately having a discussion like this will not serve any purpose. ... (*Interruptions*) So, kindly adjourn the House for ten minutes. Kindly have a discussion with party leaders; resolve the issue; and have the discussion in an orderly House..... (*Interruptions*) That is the submission which I would like to make before the hon. Speaker. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचंद्रन जी, आप बैठिये। I can only request the Opposition Party. मैं पहले दिन से एक बात देख रही हूं, पहले सैशन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम बात करोगे, अब सैशन हो रहा है तो रोज एक इश्यू लाकर हाउस को डिस्टर्ब मत करो, मैं बार-बार बोल रही हूं। हाउस के बाहर बोली हुई बातों को लेकर आप बोलना चाहते हो, इसलिए मैं अलाऊ नहीं कर रही हूं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण इश्यू है और इसे अभी लेना है। आपको अगर चर्चा में भाग नहीं लेना है तो You can go out. I have no objection. मगर इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब मत करो।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is the not the way.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam Speaker, I slept yesterday night by 3 o'clock. We have prepared a lot. We want to substantiate our case. ... (*Interruptions*) I also belong to the Opposition. We want to say so many things. ... (*Interruptions*) Madam, the merits and demerits in the implementation of GST is not a matter relating to BJP or the Government alone. It is a matter concerning the whole country. ... (*Interruptions*) The Opposition parties are very much interested in taking part in the discussion in an orderly House. ... (*Interruptions*) Therefore, my suggestion and my submission is that the Government has to come out with a statement. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: इस पर गवर्नमैन्ट का कोई मामला नहीं है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, even in the Other House, the matter was discussed and the Government had come out with a statement and the issue was resolved. ... (*Interruptions*)

So, here in this House discussing a matter like GST in this way is not proper. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात यह है कि आप दूसरे हाउस का मत दो, वह हाउस एडजर्न हो गया।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you want, yes, for 15 minutes, I will adjourn the House. मगर उसके बाद बिल चलेगा।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned for 15 minutes. It will again meet on 1615 hours.

15.59 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Sixteen of the Clock.

16.17 hrs

The Lok Sabha reassembled at Seventeen Minutes past Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, अब क्या रहाi

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): आप उनको बुलाइए। ...(व्यवधान) अनन्त कुमार हेगड़े जी को ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं कोई पकड़ कर लाऊं क्या?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मेंबर को भी मालूम है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको मैं एक बात बताती हूं। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि वह इससे संदर्भित नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट उनसे अपने आपको रिलेट नहीं कर रही है।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He should come and apologize.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इसमें अपोलोजी की बात नहीं है।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, उस विषय के बारे में मुझे सरकार की तरफ से रेस्पांड करना चाहिए था, मैं कह चुका हूं और मैं यह कह चुका हूं कि भारत रत्न माननीय डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और भारत के संविधान के प्रति नरेन्द्र भाई के नेतृत्व वाली भारत सरकार की अटूट श्रद्धा है और हम उस कांस्टीट्यूशन से किमटेड हैं। उसके हिसाब से ही आज के दिन में भारत सरकार और सभी प्रदेशों की सरकार चल रही है। इसलिए कोई एक बयान को ऐसे तोड़-

मरोड़ करके पेश करना ...(व्यवधान) और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन शब्दों को उनके मुंह में रखना, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) यह हम कह रहे हैं।...(व्यवधान)

में कह रहा हूं कि जब हमने अपने किमटमेंट के बारे में इतना कह दिया, तो हाउस को चलाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

16.18 hrs

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Premachandran ji, please continue your speech.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: वह अपने आपको संदर्भित नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Premachandran ji, you do not want to speak!

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I may be allowed to speak. ... (*Interruptions*) Let the House be in order. Otherwise, there is no meaning in making a speech here. ... (*Interruptions*)

Madam, I am very much interested in making my submission, in making my speech. ... (*Interruptions*) Unfortunately, there is so much of noise and disturbance and the House is not in order. ... (*Interruptions*) Then, how can I make a presentation regarding such a very serious and important issue? ... (*Interruptions*)

Of course, we are all very much interested to speak on GST Bill and want to highlight so many issues. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, if Shri Premachandranji is saying that the House is not in order, I humbly disagree with him because more than 90 per cent of the House is ready to listen to him. ... (*Interruptions*) They are listening to him. Therefore, he may continue with his speech despite his objection. ... (*Interruptions*)

The hon. Minister is here to respond. ... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The question is whether the majority of Members are hearing the views. ... (*Interruptions*)

The question is whether the House is in order so that such a very serious and important Bill on GST, which is having drastic structural reforms in the indirect taxation system of the country, may be discussed, decided and passed. ... (*Interruptions*) Can it be done amid such a disturbance in the House? ... (*Interruptions*) That is the main question to be considered by the Government. ... (*Interruptions*)

Madam, my submission is that definitely I am very much interested to speak on such an important Bill dealing with GST. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you not want to speak?

... (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: In this disturbance, I do not want to speak. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motions moved:

"That this House disapproves of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 5 of 2017) promulgated by the President on 2 September, 2017."

"That the Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration."

Now, Shri Nishikant Dubey.

... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता था कि कांग्रेस के मित्रों को सद्दबुद्धि आएगी, इनके नेता बार-बार चुनाव में गब्बर सिंह टैक्स की बात कर रहे थे। गब्बर सिंह टैक्स क्या है, इनको कैसा ऑब्जेक्शन है, वन नेशन, वन टैक्स की थ्योरी पर कांग्रेस कहां डेफर करती है? वह अपनी बातों को जनता के सामने ले जाएं ...(व्यवधान) पार्लियामेंट से बिढ़या फोरम इनके पास नहीं था। मुझे लगता है इन लोगों को किसी बहस से मतलब नहीं है। ...(व्यवधान) देश के किसी कानून से मतलब नहीं है देश चलाने से मतलब नहीं है ...(व्यवधान) इन लोगों को केवल हंगामा करना है। चूंकि इनके पास जीएसटी का कोई जवाब नहीं है ...(व्यवधान) जीएसटी का कोई विकल्प नहीं है...(व्यवधान) इसलिए चर्चा से भागना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह से हंगामा करना चाहते हैं।

महोदया, जीएसटी के बारे में देश में गलतफहमी चल रही है, कोई कहता है इससे छोटे व्यापारियों का नुकसान होगा, कोई कहता है रिअल्टी सेक्टर को नुकसान होगा, कोई कहता है छह महीने में जीएसटी इम्पलिमेंट का क्या हुआ, टैक्स नेट कम हो गया ...(व्यवधान) चीजें कम हो गई। कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, निदा फाजली ने एक बहुत अच्छी शायरी कही है,

' जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपना आइना रखना ' जो भी जीएसटी का विरोध करने वाले लोग हैं। ... (व्यवधान) पूरी दुनिया में जीएसटी के कारण भारत की जय-जयकार हो रही है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ... (व्यवधान) उन्होंने एक किमटमेंट दिया, आजादी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा लेजिस्लेशन है ... (व्यवधान) जिसका फॉर रीचिंग इम्पैक्ट कंट्री में होने वाला है तो वह जीएसटी है। जीएसटी और जीएसटी के रेट के बारे में कई चीजें हैं। दूसरे देशों में जीएसटी कैसा हैं। पहली बार फ्रांस में वर्ष 1954 में जीएसटी लागू हुआ, दूसरे देशों के आधार पर कहा जाता है कि हमारे यहां पांच रेट हैं, यह कहीं 28 परसेंट है, कहीं 18 परसेंट है। मैं एक डाटा देना चाहता हूं - आस्ट्रिया में जीएसटी का स्टैन्डर्ड रेट 20 परसेंट है, बेल्जियम में 21 परसेंट है, पूर्तगाल में 19 परसेंट है, नार्वे में 25 परसेंट हैं।

डेनमार्क में 25 परसेंट, स्वीडन में 25 परसेंट, फिनलैण्ड में 22 परसेंट है। नवंबर में चेंजिस हुए हैं, नवंबर में भारत सरकार ने किए हैं, मुझे लगता है कि जीएसटी एवरेज 12 से 18 परसेंट के बीच में है।

16.25 hrs

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members went back to their seats.)

वह देश जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, जिस देश का जीडीपी रेश्यो कम है, आप इसे इस आधार पर समझें कि हमने 12 से 18 परसेंट रखा है तो आम लोगों के लिए 32-33 परसेंट टैक्स सैंटर और स्टेट का मिलाकर होता था, उसमें हमने कितना बड़ा काम किया है। यह भारत सरकार की इतनी बड़ी उपलिख है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कोऑपरेटिव फैडरलिज्म की बात कहते हैं कि जीएसटी फार रीचिंग लेजिस्लेशन इसलिए है क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव फैडरलिज्म का एक बड़ा आईना देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि इसमें कोऑपरेटिव फैडरलिज्म क्या हैं। कोऑपरेटिव फैडरलिज्म यह है कि पूरे देश के वित्त मंत्रियों ने मिलकर 1200 आइटम्स के बारे में बिना किसी विरोध के निर्णय किया कि किसका क्या रेट होगा, किस का जीरो परसेंट होगा, किस का पांच परसेंट होगा, किस का 12 परसेंट होगा, किस का 18 परसेंट होगा, किस का 28 परसेंट होगा। यह भारत सरकार ने लागू नहीं किया।...(व्यवधान) कोआपरेटिव फैडरलिज्म में इस बिल की सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि 32 वित्त मंत्री मिलकर इस देश के बारे में फैसला करते हैं। क्या इससे बड़ा कोऑपरेटिव फैडरलिज्म का उदाहरण देखने को मिलेगा? ...(व्यवधान)

विपक्ष का कहना था कि यह फेल हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। कई देशों का उदाहरण देते हैं कि वहां टैक्स कम है, वहां फेल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे देश हैं जहां लो जीएसटी से शुरू हुआ, जैसे सिंगापुर है, यहां जीएसटी का रेट तीन परसेंट से शुरू हुआ था जो आज पांच से सात परसेंट पर जा रहा है। ...(व्यवधान) कई देश ऐसे हैं जहां जीएसटी रेट कम से शुरू हुआ। दुबई जैसा देश जो टैक्स नहीं लेता था, आज ही अखबार में आया है कि वहां पांच परसेंट वैट शुरू हो रहा है। इस तरह की स्थिति है। भारत सरकार ने जोर से शुरू किया, 28 परसेंट से शुरू किया, 28 परसेंट के कितने आइटम्स को 18 परसेंट पर ला रही है। जो सिचुएशन हुई और इस कार्य को पूरा करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने जो काम किया है, इससे पूरे देश में मैसेज है कि जीएसटी बढ़िया है और इसमें केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें साथ दे रही हैं। ...(व्यवधान)

इसमें एक्सपोर्ट की फैसिलिटी, करंट एकाउंट डेफिसिट को कम करना है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो यहां के मैन्युफैक्चिरेंग सैक्टर को आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट के लिए रिजस्ट्रेशन इतना स्मूथली चल रहा है कि लैटर ऑफ अंडरटेकिंग स्टेट और सैंटर के लिए हैल्प डैस्क, असिस्टेंस डैस्क, जीएसटी अवेयरनैस कैम्पेन भारत सरकार ने लागू किया है। ... (व्यवधान) ऐसे लगता है कि जीएसटी कांग्रेस लाना चाहती थी। तृणमूल कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, चूंकि...* नहीं चाहती

_

^{*} Not recorded

थीं...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि उस कारण नहीं ला पाए, जीएसटी नहीं आ पाया, उसका कारण था, प्रैशर के कारण नहीं ला पाए। ...(व्यवधान) हमने अवेयरनैस के प्रोग्राम के लिए जितने मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, लोक सभा और राज्य सभा के हैं, उनके लिए क्या किया।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमें ड्यूटी दी कि सरकार जो करती है, सरकार करे, अधिकारी जो करते हैं, अधिकारी करें। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The name mentioned by the hon. Member should not go on record.

... (Interruptions)

16.29 hrs

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: I have already told them.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No name will go on record like this.

... (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुवे : आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर छोटे व्यापारियों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और अवेयरनैस कैम्पेन करेंगे। हमने जगह-जगह जाकर अवेयरनैस प्रोग्राम किया जिसका इम्पेक्ट है कि जीएसटी के बारे में लोगों को लगता है कि हमारे लिए अच्छा टैक्स है। अभी तक इस सरकार ने 100 नोटिफिकेशन्स जारी किए हैं। कई लोगों को लगता है कि इन नोटिफिकेशन्स की क्या आवश्यकता है। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, चीजें होती हैं, तब हमें लगता है कि इसमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और कन्ज्यूमर्स को यदि समस्या हो रही है तो उसके लिए भारत सरकार अभी तक हन्ड्रेड नोटिफिकेशन्स और उसमें 50 प्रैस रिलीज, 27 सर्कुलर्स और 11 आर्डर्स लागू कर चुकी है। हम कितने सीरियस हैं और दिन-रात किस तरह से काम कर रहे हैं, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भी लोगों को समस्या हो रही है, तब भारत सरकार इसे लागू कर रही है। इसके बाद में बताना चाहता हूं कि हमने क्या-क्या किया? अभी हमें एक्सटेंशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट में समस्या थी। जीएसटी काउंसिल ने जुलाई से रिटर्न फाइलिंग की डेट में एक्सटेंशन दे दिया।

दूसरा, यदि लेट फी आयेगी, तो आपको पैनल्टी लगेगी। उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने waiver of late fee of late filing of return for the months of July, August and September चूंकि जीएसटी नया कानून था और कई लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से करना है

और किस तरह से नहीं करना है। उसमें भारत सरकार को लगा कि हम यह कानून आम आदमी के लिए ला रहे हैं, कन्ज्यूमर के हित के लिए ला रहे हैं, लोगों को सामान सस्ता मिले, इसके लिए ला रहे हैं। इसके लिए समस्या थी, तो हमने उसे बढ़ाया। उसके बाद for exports, we have come up with a Letter of Undertaking for all taxpayers. Great relief has been given to exporters by giving them an option to export without payment of tax. यदि हम लोगों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, तो हमने इसमें बहुत बड़ा चेंज किया। After this, GST Council has come up with revision for transitional forms. मैं आपको बता रहा हूं कि जीएसटी लागू होने के बाद छः महीने में यह आम गरीब, कन्ज्यूमर के लिए किस तरह हो, उसके लिए भारत सरकार ने क्या-क्या काम किया। After that came the Extension of Area based Scheme. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी चीज थी कि जब कई राज्य बने या छोटे पिछड़े राज्य हैं, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जिसमें माननीय जेटली जी भी थे, जैसे हिमाचल, उत्तरांचल को हम कैसे आगे बढाएंगे, कच्छ में भुकम्प आ गया था, उसे कैसे बढाएंगे, नार्थ ईस्ट, जम्मू-कश्मीर का कैसे डेवलपमैंट होगा, जब दस साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि एरिया बेस्ड एग्जम्पशन को खत्म कर दिया। इस कारण जो पिछड़े, गरीब और पहाड़ी राज्य थे, जिनका डेवलपमैंट होना था और इसके कारण जहां इंडस्ट्री आ रही थी, वह नहीं आ सकी। हमने इस जीएसटी में एक बड़ा प्रावधान किया और we have started the Extension of Area based Scheme. Then, we have increased the limit for availing Composition Scheme. हमने सब राज्यों के लिए एक करोड़ रुपये और स्पेशल केटेगरी स्टेटस, चाहे वह जम्मू-कश्मीर या हिमाचल हो, उनके लिए 75 लाख रुपये किये। आप देखेंगे कि छोटे और पिछड़े राज्यों के लिए इस सरकार में जीएसटी में कितनी कमिटमेंट है, वह छः महीने का पूरा चेंज है। उसके बाद माननीय मोदी जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एप्वाइंट किया और यह कहा कि उसकी एग्जिस्टिंग कम्पोजिशन स्कीम के इम्प्रुवमैंट के लिए क्या-क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने एग्जिस्टिंग कम्पोजिशन स्कीम के लिए कहा --

A uniform rate of one per cent has been suggested under the Composition Scheme for manufacturers and traders. इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, यूपीए के दस साल में यह समस्या हो गयी कि हमारा मैनुफैक्चिरिंग सैक्टर डाउन हो गया। जहां तक एनपीए का सवाल है, यदि आठ-नौ लाख करोड़ रुपये एनपीए हो गया, तो वह यूपीए सरकार में करप्शन के कारण बैंकों की स्थिति चौपट करने से हो गया। इन्होंने बिजनेसमैन को सपोर्ट करने, इन्होंने क्रूनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने के लिए

बिना किसी चीजों के एनपीए करा दिया। इस कारण देश में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर डाउन जा रहा है। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर को ऊपर करने के लिए भारत सरकार जो इनीशियेटिव ले रही है, उसमें रिवीजन किया। It said: "For traders, the turnover will be counted only for supply of taxable goods and services; and supply of services by composition taxpayers, up to Rs. 5 lakh per annum, will be allowed by exempting the same after making suitable amendment in the Act."

मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन को बीस लाख रुपये कर दिया गया। टैक्सपेयर्स को परिमट किया गया कि जो 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर है, this will reduce the compliance burden on small tax-payers considerably and make the GST more good and simple tax. इसके बाद Suspension of Section 9(iv) है, जिसमें payment of tax in RCM के लिए एग्जम्पशन दी गयी थी, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए उसे 31 मार्च, 2018 तक सरकार ने बढा दिया है। इसके बाद एडवांस टैक्स की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए एन्अल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये होना था, उसके लिए कहा गया है कि this will yield compliance for small tax-payers and make them more competitive. कम्पीटिशन की आवश्यकता है, एक दुसरे से जानने की आवश्यकता है, मार्केट को तय करने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि किस तरह से रोजगार बढे। ...(व्यवधान) रोजगार बढाने में स्माल स्केल इंडस्ट्री का जो रोल है, वह कैसे बढे। छोटे-छोटे लोग जो राज्यों में हैं, जिलों में हैं, जिनको इसकी समझ नहीं है, उनके लिए भारत सरकार ने यह काम किया। Exemption of Tax for Suppliers from GTA to unregistered person. This will boost the competitive potential of small scale industry. यह एक मेजर डिसीजन इन्होंने लिया है।...(व्यवधान) इसके बाद suspension of Tax Collection at Source (TCS) or Tax Deduction at Source (TDS) का जो प्रॉविजन था, वह बढ़ा करेगा। ...(व्यवधान) आप समझिए कि उसको महीने भर में, दो महीने या तीन महीने में फाइल करना था, उसे हमने एक्सटेंड करके 31 मार्च, 2018 तक कर दिया।...(व्यवधान) इसके बाद suspension of E-Way Bill. In order to give trade and industry more time to acclimatize itself with the GST regime. इसका मतलब है कि छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए, गांव, गरीब, किसान और स्माल स्केल सेक्टर के लिए सरकार कमिटेड है।...(व्यवधान) इसमें स्टेट को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि इसका यह फार्मुला है कि सेंटर कुछ पैसा लेगा, स्टेट कुछ पैसा लेगा और कुछ पैसा आईजीएसटी में जाएगा। इस तीन तरह के फार्मूले में स्टेटस को

कई जगह परेशानी थी। ...(व्यवधान) जब 32 वित्त मंत्री बैठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी परेशानी है। रमाल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग जब वित्त मंत्री जी से मिलने आते थे तो वे कह रहे थे कि यह परेशानी है, उसके लिए हमने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर पर नॉमिनल जीएसटी लगेगा, जो 0.1 प्रतिशत होगा। उसके बाद कैश बैकलॉग और ई-वॉलेट की बात है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, यदि इस देश को डिजिटल इकोनोमी की तरफ बढ़ना है, यदि प्रधान मंत्री मोदी जी के सपनों को माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के विभाग से पूरा होना है तो जो कैश ब्लॉकेज और ई-वालेट है, उसे नोशनल एमाउण्ट पर एडवांस रिफण्ड में जाना है।...(व्यवधान) इसके लिए काउंसिल ने 1 अप्रैल, 2018 से ई-वालेट स्कीम लांच की है।...(व्यवधान) उसके बाद जो जॉब वर्क सर्विस में हैं, आप समझें कि यहां आर्गनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर हैं। अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में जो लेबरर्स हैं, उनको जो समस्या है, जो स्माल ट्रेडर्स हैं, दुकान वाले हैं, परचून की दुकान वाले हैं, उन्हें बेसिक मिनिमम गारन्टी और पे कैसे देंगे, उसके बारे में एक बड़ा प्रावधान किया है। छः महीने के अंदर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, ...(व्यवधान) वह जीएसटी रेट का रिडक्शन हुआ, इसे 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, यदि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लागू करना चाहते हैं, यदि हम गरीबों को स्विधा देना चाहते हैं, ...(व्यवधान) उनको सही शिक्षा देना चाहते हैं, उनका इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, उनको हेल्थ के लिए पैसा देना चाहते हैं, ...(व्यवधान) उनको अच्छा मकान देना चाहते हैं, ...(व्यवधान) वर्ष 2022 तक यदि हम उनको पानी देना चाहते हैं, सभी घरों को पानी देना चाहते हैं, उनको बीपीएल से ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स की आवश्यकता है, ...(व्यवधान) लेकिन भारत सरकार को जीएसटी काउंसिल में जब यह लगा कि कई ऐसे टैक्सेस हैं, जिनमें रेट घटाना चाहिए तो सरकार ने 178 चीजों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया। अब केवल 50 आइटम्स ऐसे हैं, जिन पर 28 प्रतिशत टैक्स है।...(व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हं कि आप लोग गांव, गरीब और किसान से इतने जुड़े हुए हैं, आम लोगों से इतने जुड़े हुए हैं, इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो आपको अपनी समस्याएं बता रहे थे, खासकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से जो रिक्वेस्ट की, उसकी वजह से सरकार ने 178 आइटम्स पर टैक्स रेट घटा दिया।...(व्यवधान)

इसके बाद इस जी.एस.टी. में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्वड क्वैश्चंश हैं और जो यह बारी-बारी से पूछा जाता है कि इसका क्या होगा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रीवैंसेज रीड्रैसल सिस्टम है, वह इतना बड़ा हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया कि जहां-जहां पर हमारी सरकार है, वहां के सारे मंत्रियों को, सारे मुख्य मंत्रियों को, विधायकों को और सारे सांसदों को सभी जगह हम लोगों को हमारी पार्टी ने, प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने भेजा कि जो लोगों के प्रश्न हैं, हम उनके जवाब दें। आज मैं

आपको कह सकता हूं कि जिस तरह का गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है, गुजरात से बड़ा कहीं भी एक्सपोर्ट और बिजनैस आपको नजर नहीं आएगा और उन लोगों ने जिस तरह से वोट दिया है, मैं आपको बताऊं कि प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी इसमें सफल हुए हैं और जी.एस.टी. की चीजों को बताने में हम कामयाब हुए हैं। इसीलिए आज इस तरह का रिजल्ट हम लोगों को मिला है।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटर्न्स जो था, उसमें जो 30 लाख रजिस्ट्रेशन थे, 65 लाख उसमें माइग्रेशन हो गया। जो सबसे बड़ा सवाल है, इस देश में जितने एमपीज हैं, वे रामराज्य लाना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई ऐसा गांव न बचे जो स्विधाओं और पक्की सड़क से वंचित हो। कोई ऐसी जगह नहीं रहे जहां पर पीने के पानी की समस्या हो। कोई ऐसी जगह नहीं रहे जहां पर स्कूल, अस्पताल और डॉक्टर की समस्या हो। सब जगहों पर एयरपोर्ट की सुविधा हो जाए। लेकिन इन सभी में पैसे की आवश्यकता है। यह देश ऐसा है कि जिसमें टैक्स रेशियो इतना कम है जिसके आधार पर फिसकल डैफिसिट कैसे कंट्रोल होगा? एफ.आर.बी.एम. एक्ट कैसे लागू होगा, यह एक बड़ी समस्या है जो भारत सरकार हमेशा फेस करती है। इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आवश्यकता थी कि जो ट्रेडर्स हैं या कई ऐसे लोग हैं और जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनको एक करोड़ रुपये देने हैं या दो करोड़ रुपये देने हैं, वे लाख-दो लाख में देंगे तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है या भारत सरकार ने जो सब्सिडी देने का फैसला किया है, उसका यह फायदा हुआ कि इससे रजिस्ट्रेशन काफी हद तक बढ़ेगा। इससे बैनेफिटस ऑफ जी.एस.टी. में मेक-इन-इंडिया कैसे बढ़ेगा? मेक-इन-इंडिया के लिए हमने कॉमन नेशनल मार्केट, मेक-इन-इंडिया कैम्पेन बनाया है। मेक-इन-इंडिया कैम्पेन ऐसा कैम्पेन है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक इसके पहले जितनी भी सरकारें थीं, वे इम्पोर्ट पर निर्भर होती थीं। मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटीज कैसे क्रिएट होंगी? यहां मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर कैसे बढ़ेगा और यहां मेक-इन-इंडिया कैसे होगा? चाहे छोटे सैक्टर हों या बड़े डिफेंस के सैक्टर हों, टेलीकॉम के सैक्टर हों या इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर हो, इस मेक-इन-इंडिया कैम्पेन के लिए जी.एस.टी. काउंसिल ने ऐसे प्रॉविजन्स किये हैं कि इससे मेक-इन-इंडिया को फायदा होगा।

जो कास्केडिंग टैक्स इफैक्ट था, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रान्ट्स हैं, उसमें कहा था कि जो 32-35 प्रतिशत टैक्स लगता है, उसको हमने कम करने का प्रयास किया और इससे बहुत बड़ा बैनेफिट हो गया।

इसके बाद जो हारमोनेलाइजेशन ऑफ लॉज प्रोसीजर, रेट्स ऑफ टैक्स है, आप समझिए कि स्टेट क्या ले रही है, सेंटर क्या ले रहा है, जिले में क्या हो रहा है, वहां इंकम टैक्स और सेल्स टैक्स क्या लग रहा है, बेनामी सम्पत्ति का जो इतना बोलबाला था, जिसको इस सरकार ने किया है, जिसको आप मान लीजिए कि यदि इंडाइरेक्टली आपको नहीं पता हो तो डाइरेक्ट टैक्स में इंकम टैक्स विभाग यह पता कर

सकता है कि कौन सा ट्रेंडर कितना बिजनैस कर रहा है। इसमें काफी चीजें हैं और माननीय वित्त मंत्री जी

इसके बारे में बोलेंगे।

में केवल दो बातों के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यह गब्बर सिंह टैक्स

क्या है? मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो हमारे कलाकार थे, गब्बर सिंह इसीलिए था कि इसके पहले

राज कुमार जी फिल्मों के हीरो हुआ करते थे। देवानंद जी हुआ करते थे। लोग प्यार-मोहब्बत की बात करते

थे। मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी लागू होने के बाद एंग्री यंग मैन की छवि आई और इस कारण से

अमिताभ बच्चन जैसे लोग आए। शोले जैसी फिल्म आई और उसका जो फेमस डॉयलॉग है कि ''जो डर

गया, वो मर गया।" मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको इनको जानने की आवश्यकता है।

अंत में, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो यह जी.एस.टी. लागू किया है, इसके संबंध में मैं केवल

निदा फ़ाज़ली साहब की शायरी पढ़कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं:

"सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो,

सभी हैं भीड़ में, तुम भी चल सको तो चलो।"

यह अच्छा रिफॉर्म है। सबको साथ देना चाहिए। भीड़ से अलग हटकर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो

चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I am again and again requesting you to please

go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri T.G. Venkatesh Babu.

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 was enacted with a view to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of Goods and Services Tax. The GST Council in its 20th meeting held on 5th of August, 2017 has recommended an increase of 10 per cent, that is from 15 per cent to 25 per cent, as the maximum rate at which compensation cess may be collected on the entry relating to motor vehicles falling under headings 8702 and 8703, the maximum rates for the said entries were to be increased immediately by amending the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. As Parliament was not in session then, considering the extraordinary urgency of the situation the Union Cabinet had given its approval to the proposal of the Finance Ministry to promulgate an Ordinance to suitably amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.

The hon. President of India promulgated the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 on September 2, 2017. The approval to increase the maximum rate at which the compensation cess can be levied from 15 per cent to 25 per cent on (a) motor vehicles for transport and of not more than 13 persons including the driver, and (b) motor vehicles falling under heading 8703. The Bill seeks to replace the said Ordinance.

Tamil Nadu, being a manufacturing State, had opposed implementation of GST as it feared revenue loss as the present indirect regime is a consumption-oriented tax. But going by the revenue accrued to the State Government in the first month of GST regime, the State GST or SGST has increased Tamil Nadu's revenue by 14 per cent compared to the revenue earned through Value Added Tax in the past. But the Commercial Taxes Department is not ready to jump to a conclusion that early.

Commercial taxes assessees are yet to start filing returns and the Centre has extended the date of filing the returns till October. Though the Government of Tamil Nadu has achieved 14 per cent increase in revenue compared to VAT, since

the new tax regime was introduced on July 1, the increase can be assessed properly only after we get the returns from assessees. The SGST may also include inter-State cess which comes under IGST. This will have to be deducted.

Tamil Nadu, despite being a manufacturing State, is also a big consumption State as nearly 48 per cent of its population lives in urban areas. We will have a clear picture by the end of next month as to where our revenues stand on account of GST. In VAT we used to see a growth of eight per cent per annum and in the last few years we did not meet the budget target. But in GST the Centre has forecast an increase of 14 per cent and we have achieved that. Anything above that is a bonus. Tamil Nadu may not face any big loss by implementing Goods and Services Tax and loss and gain owing to implementation of GST may match. This is purely because Tamil Nadu is both a manufacturing State and a consumption State on a large scale.

The Centre has promised to compensate States like Tamil Nadu which are considered manufacturing States. But at the same time, our State is also a big consumer of almost all goods and services. Basically, GST is favourable for consumption States as it is a consumption based tax. Thus, we may become revenue neutral. In this situation, the Union Government should have an adequate incentive mechanism. I repeat, the Union Government should have an incentive mechanism to support Tamil Nadu for performing exceedingly well as a big manufacturing and consumption State. The Tamil Nadu Government fears that there will be delay in receiving money from the other States as per the GST regime. We have an efficient tax department and there would not be any delay in transferring money to other States as their tax share but it is a big question whether the same will happen to what is due to us. I would request the hon. Union Finance Minister to address this crucial issue pertaining to transferring of money from other States as well as from the Centre.

Madam, Tamil Nadu has a higher tax to GDP ratio and it is higher than even Maharashtra. But if we remove liquor and petrol, the tax to GDP ratio of

Tamil Nadu falls to 3.8 to 4.4 per cent. This shows that the State is highly dependent on these two tax sources. Similarly, Tamil Nadu is a highly urbanised State of the country. As per the Census 2011, 48 per cent of the State is urbanised and this percentage is increasing for the last five to six years. Therefore, I urge the Union Government to provide compensation as special incentive package for States like Tamil Nadu which perform exceedingly as both manufacturing and consumption State. Thank you.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am again requesting you. Prof. Saugata Roy, please go to your seat. ... (*Interruptions*) I am again requesting you; please cooperate.

... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The ingenuity of the speaker from the ruling party Shri Nishikant Dubey is par excellence; par excellence in the sense that last Friday, on a Private Member's Bill, he spoke for more than 50 minutes and on this amendment Bill also, he has spoken non-stop for more than 25 minutes despite the turbulence in the House.

Madam Speaker, the Ordinance that has been brought to which some Members have raised objections and the Bill that is before us for consideration is actually to remove an anomaly that had crept in because of the anxiety to pass the GST Bill last year. The GST came into existence from 1st July. More than five months have passed and we will be completing six months in another three or four days' time. But actually, the impact of GST can only be gauged after January 31st when the respective State Governments will come to know how it has impacted their revenue structure. From our State, this is our party's position, we have fully supported the implementation of GST.

Of course, we had some reservation relating to IGST. There are still certain concerns which need to be addressed by the Council. ... (*Interruptions*) They are getting addressed in that Council as you had assured to us that when the concerns of Odisha would be raised the Union Government would stand by Odisha.

The problem today is that the mammoth task of replacing the country's entire indirect tax system with a new one is testing the limits of policy-makers' real-time responsiveness, the resilience of the infrastructure and the taxpayers' ability to adapt to a more disciplined compliance regime. ... (*Interruptions*) The question of course remains whether the tax reform delivers the promised economic benefits or would it be derailed by transition glitches.

GST has been implemented from 1st July, 2017. In our case, collections under the Odisha VAT, the Central Sales Tax Act, the Odisha Entry Tax Act, the Odisha Entertainment Tax Act, Odisha Luxury Tax Act, the Forest Development Act, and the advertisement tax collected by the urban local bodies, have all been subsumed into the GST regime. ... (*Interruptions*) The GST (Compensation to

States) Ordinance, 2017 was promulgated on 2nd September, 2017. This amends the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. ... (Interruptions) The Act allows the Central Government to notify the rate of the GST compensation cess on items such as pan masala, coal, aerated drinks, and tobacco, subject to certain caps. But this Bill amends the 2017 Act to increase the tax on GST compensation cess levied on cars from 15 per cent to 25 per cent. However, I understand that this Bill is only an enabling measure. ... (Interruptions) It does not mean the cess will automatically go up from 15 per cent to 25 per cent. The GST Council is entitled to take a decision on whether it needs to increase the cess within the cap. ... (Interruptions) This move is aimed at restoring the tax revenue collected from the automobile industry that got affected when the federal indirect tax body fixed the cess at the current level leading to price cuts across various models in the initial days of the GST rollout.

This move is actually aimed to eliminate an anomaly that led to prices of such vehicles dropping after the implementation of GST while those of smaller autos did not change. ... (*Interruptions*) The rates of luxury vehicles like Mercedes Benz came down by more than Rs. 1 lakh to Rs. 3 lakh. That anomaly has been corrected through the Ordinance. ... (*Interruptions*) After the passing of this Bill by both the Houses, the benefit will accrue to the respective States; the Central kitty will also see an increase. The car prices had dropped up to Rs. 3 lakh as the tax fixed under the GST was lower than the combined Central and State taxes in the pre-GST days. ... (*Interruptions*) Under the GST regime, cars attract the highest tax slab of 28 per cent; and on top of that, a cess is being levied.

The Council has also decided to reduce rates on certain categories of handicrafts. ... (*Interruptions*) Besides, khadi products sold through khadi and village industries stores will be exempt from GST. Here I would like to draw the attention of the Finance Minister to the letter that our hon. Chief Minister has written to the Prime Minister which clearly states that Odisha has a large number of handicraft and handloom products but they are not exempted from GST.

17.00 hrs

Khadi fabrics, which are being sold through KVIC, have now been exempted from GST. A large number of weavers and artisan families, exceeding more than 3.5 lakh, earn their livelihood from diverse production base which is next only to agriculture. Odisha's handloom and handicraft form an important part of our cultural heritage. These products are mostly used by the common people. Prior to introduction of GST, the State Government of Odisha had always exempted these products from VAT. In most of these products there was no Excise Duty. With the introduction of GST from 1st July 2017, handloom fabrics and handloom apparels have been made taxable with GST rates of 5 per cent and 12 per cent respectively and handicrafts have been levied a GST rate of 12 per cent or 18 per cent depending upon the type of handicraft. Although Odisha Finance Minister had strongly argued in the GST Council that handloom and handicraft should be kept in the exemption list, it has not been agreed to. This is likely to lead to an increase in the prices of these products which will adversely affect the livelihood of the poor families depending upon the production of these goods. The Finance Minister had assured us in this House that whenever Odisha State issue will come up the Union Government, personally he will look into the matter and therefore, I urge upon the Finance Minister to intervene in this. I would urge upon this Government to reconsider and impress upon the Council to exempt handloom and handicraft items from GST. ... (*Interruptions*)

Another issue deals with the tribal population of our State, especially the Mayurbhanj district of our State. Odisha has made a proposal with regard to the rate of *Sabaai* rope. Sabaai grass is grown in the hilly terrain. Plates are also being made from Sal leaf. This is also happening in Jharkhand and Chhattisgarh. Earlier they had imposed 18 per cent tax on it and on our intervention it has now been reduced to five per cent. I would urge upon the Union Government and would request the Finance Minister to impress upon the Council so that this five

per cent GST is also totally removed. This minor forest produce, out of which value addition is done by the poorer people of the tribal folk, should be exempted from GST. Sal *thaali*/plates and *Sabaai* ropes need to be exempted on the ground of livelihood of tribals. This is another issue which needs to be looked into by the Council and also by the Finance Minister. There was no Excise and VAT on these products prior to GST. Now, five per cent of GST is being imposed which should be totally exempted.... (*Interruptions*)

I would like to state here that the current system of making payments upfront and claiming input tax credit refunds is actually not functioning properly. A lot of money is stuck in unclaimed refunds. Relating to automobiles, it is said that more than Rs.1000 crore is now stuck up with the Government. If you take up other sectors, it will be much more than Rs.1000 crore. That needs to be addressed as quickly as possible.... (*Interruptions*)

There were teething problems in GST and I hope these will be resolved gradually. Odisha actively participates in GST Council. We have supported GST but there are certain issues which need to be addressed as early as possible because we are going to complete six months now and in another one month's time we will know how much money will actually flow.

Today, because of the compensation that is being paid as per the law, we are getting Rs. 330 crore every month. So, invariably, during the last three months, around one thousand and odd crore rupees have also flowed into our State.

Similarly, as a consumer State, West Bengal has also received more than thousands of crores of rupees. There are other States which are also getting compensation because of the GST regime. Therefore, I am in support of this Bill, but I want certain amendments also to be made through the GST Council relating to the tribal interests and also for the handloom and handicraft artisans.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, एक महत्वपूर्ण बिल सदन में आया है, इसमें छोटी सी एक चीज रह गई थी, जिसके लिए आर्डिनेंस निकालकर दोबारा कानूनन प्रावधान करने की बात की है। हम जब इसकी तरफ देखते हैं, शुरू में हमने भी जी.एस.टी. के लिए समर्थन दिया, लेकिन हमारे कुछ रिजर्वेशंस थे. आपने उनका समाधान किया और आज इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जब हम सामान्य लोगों से मिलते हैं, अनंत कुमार जी यहां बैठे हैं, मैं उन्हें इस पर खास ध्यान देने के लिए बोलूंगा कि अगर हम इंकम टैक्स पे करते हैं, वैसे हम सब लोग इंकम टैक्स पे करते हैं और इंकम टैक्स पे करने के बाद हमारे हाथ में जो पैसा आता है, उस पैसे में से दोबारा जी.एस.टी. भी जाता है। श्री निशिकांत दूबे जैसे लोग इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा कि अगर मेरी तनख्वाह पचास हजार रुपये है तो उसमें से तीस प्रतिशत इंकम टैक्स गया। उसके बाद मैं जो कुछ खरीददारी करूंगा, उस पर मुझे 18 टका जी.एस.टी. देना पड़ेगा तो मेरी इंकम में से 48 टके पैसे जाने वाले हैं। क्या हमने कभी इस पर सोचा है। आपके सुब्रह्मण्यम स्वामी जी बार-बार यह कहते हैं कि अगर जीएसटी लागू करना है तो इंकम टैक्स बंद करिये। मैं जानना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स को बंद करने या कम करने के बारे में क्या सरकार सोच रही है? यह मेरा इस बिल के माध्यम से आपसे सवाल है। क्योंकि आज भी यदि आप कॉमन आदमी को देखें, जो तनख्वाह लेने वाला आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसकी तनख्वाह पचास हजार रुपये या एक लाख रुपये भी मान लो तो यदि साल भर में उसके हिस्से में 12 लाख रुपये तनख्वाह आई तो उसका तीस प्रतिशत इंकम टैक्स में चला गया। यह डायरेक्ट टी.डी.एस. में चला गया यानी तीन लाख साठ हजार रुपये इंकम टैक्स में चले गये। बाकी बचे हुए पैसे से यदि वह कुछ खरीददारी करेगा तो उसके ऊपर 18 टका टैक्स देगा। इस तरह से उसकी इंकम में से 8 परसैंट पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है, क्या इसका समाधान करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है?

आपने गाड़ियों के ऊपर 15 से बढ़ाकर 25 परसेंट टैक्स किया, वह अच्छी बात की, क्योंकि बड़े पैसे वालों की बात है। लेकिन गरीबों और मिडिल क्लास के बारे में यह सोचना आवश्यक है।

इसके अलावा श्री महताब जी ने जो बात कही, वह भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि खासकर हमारे ट्राइबल एरियाज में हैंडीक्राफ्ट्स वाले बेचारे बहुत गरीब लोग हैं। वे घरों में कुछ चीजें बनाते रहते हैं, आपको उनका भी समाधान करने की आवश्यकता है, उन्हें कुछ सहूलियतें देने की आवश्यकता है। जब हम मेक इन इंडिया और जी.एस.टी. की बात करते हैं तो देखिये कि वे भी हमारे मुख्य प्रवाह में आएं। इसलिए उन्हें मुख्य प्रवाह में लाने के लिए काउंसिल को इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इतना कहकर इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।

माननीय अध्यक्ष: स्पीकर मैडम के साथ न्याय करो, ऐसा होगा। श्रीमती के.कविता, आप बोलिये।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जी.एस.टी. का हम पहले से समर्थन करते आए हैं और अभी भी करते हैं।

There are a few issues in GST, particularly pertaining to States like Telangana, which are growing at 18 to 20 per cent. We are being taxed since we are growing at such a big rate. Madam, States, which are growing under 14 per cent, are being benefited by the GST. But, since we are growing above 14 per cent, we are being taxed. From the past two months, the compensation that the Telangana Government has received is only Rs. 169 crore from the GST. So, I would really request the hon. Finance Minister to look into the issues of the developing States.

We have divided the States into Model-1 and Model-2 in the implementation of GSTN Network. Telangana is in Model-II State. We are taking care of the technology aspect. My sincere request to the Government is to consider looking at the developing States with a different view point. You have decided base rate at 14 per cent. So, if we can have a re-look at it, understand it and compare the growth rate of the States with the previous rates instead of the fixed 14 per cent, then the developing States like Telangana would be compensated in a better way.

This is what we believe. Our Government has fully supported the implementation of GST and its network. We have supported the GST in general. We have worked with our people to make sure that people understand the implications of GST. The implementation process is being carried out very smoothly... (*Interruptions*).

Madam, my sincere submission is that till date the GST network has not been implemented very well. Whatever agency is working with GST has to see that there are still very glitches in the software. Small traders and small

businessmen are suffering very heavily due to these glitches. So, my sincere request is to look into these aspects. Today, India is technologically very sound but this particular agency is missing deadlines again and again. I do not think it is excusable and we should really look into it... (*Interruptions*).

Another important point which I would like to bring to your kind notice is that the GST was aiming to make sure that the transportation of goods between two States is made easy. The e-way bill which is generally generated by a computer is not being done in all the States till date properly. Of course, States like Telangana have been using e-way bill from the beginning. So, there is a severe software glitch in that also. My sincere request is to speed up that process as well... (*Interruptions*).

Of course, this particular Bill is only looking at the motor vehicles and we are in support of this Bill. But I would like to bring to your notice that in Telangana, there is a particular stone called Tandur stone which is poor man's granite. For Tandur stone, the slab of taxation has been raised from 4 per cent to 28 per cent. But our Government continually requested in the Council and now it has been reduced to 18 per cent. But it is still on a higher side. This is poor man's granite because one square foot of this stone costs only Rs.10. It is cheaper than newspaper. It is a poor man's stone. So my sincere request to the hon. Finance Minister is to kindly look at reducing this... (*Interruptions*).

Then there is *bidi* industry which has been severely taxed through GST. Almost 99 per cent *bidi* workers are women. So my sincere request to the Government would be to look into the roll back of GST on bidi as well... (*Interruptions*).

I fully concur with the hon. Member of BJD who spoke in respect of handloom, handicrafts and minor forest produce. The GST Council has to be a little more sensitive towards the poor people who are affected by this... (*Interruptions*).

With these words, I conclude... (*Interruptions*).

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Madam, I thank you for giving me this opportunity.

On behalf of Telugu Desam Party, I support this Bill hundred per cent. Recently, there was a lot of reduction in the GST collection in both the States and the Centre. In such a scenario, the imposition of compensation cess, that too by the Central Government is really most welcome. It is the most important step towards solving the GST problems and GST collection problems. The compensation would be payable to the States. We fully support this... (*Interruptions*).

I would like to suggest to the Finance Minister as they have already imposed the compensation cess on the luxury goods which are imposed on the intra and inter-state movement of the luxury vehicles, the same can also be thought of luxury goods like air-conditioners. So many luxury goods are there. Therefore, the Centre will have more power and authority for collecting more Duty so that they can compensate the States suitably... (*Interruptions*). It is because of GST Council, the Central Government has lost a lot of powers. Now the States have become more powerful and the Centre has become a little weak. In order to balance this imbalance, this Act is the most welcome step... (*Interruptions*).

I would like to make a small request to the hon. Minister. I come from such an area where coconut is grown more. Now on coconut and copra also, GST has been imposed. This is very unreasonable. The farmers are really feeling bad. I would request the hon. Finance Minister to defer the decision of imposing GST on coconut and copra... (*Interruptions*).

I agree with my friends from Telangana and Odisha. You kindly think of reducing GST on handlooms and small textile show rooms... (*Interruptions*).

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, Speaker, unfortunately, the House is not in order, but I am from a manufacturing State and therefore, I have to make two points (...interruptions) I would just like to make two quick points because they are really critical. I am surprised that the hon. Member who opened the debate, Shri Nishikant Dubey, very proudly talked about the 100 changes that are made in the GST. We recommended all these changes but it was unfortunate that the Government did not listen and was in such a rush to make deadline of reaching 30th July when really the common man was suffering.

I come from a manufacturing State and so I would request this Government to make only two critical changes which are very important. One is the software business where the seller is taxed twice if it is not in the buyer's records which the software does not do; the other is the GPRS II which is a software which again has defaulted where when you write it down about these and when the seller pays for it when the buyer's papers are not completed, he again gets taxed. So, these are the two very critical issues that need to be addressed.

The State of Maharashtra has been consistently asking for relaxation on agricultural produce, like if there is a tractor and there is a trailer behind it which is really not a gadget, it is taxed at 18 per cent. So, it is important that this 18 per cent should be nil. We have endlessly been asking for taxes on sanitary napkins to be made zero. I do support my people who are opposing unanimously and requesting since there is some trouble with regard to the constitutional issue, I would have liked to have spoken extensively on this, but unfortunately I would like to show support to them also.

Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिव): महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से जो जीएसटी काम्पन्सेशन के इन्क्रीज की बात लाई गई है, वह जरूरी हो गई है, क्योंकि जो पिछले समय में हम देख रहे हैं, कार एक्सपोर्ट चार परसेंट कम हो रहा है।...(व्यवधान) हुंडई वालों का तो 18 परसेंट डाउन हो गया है।...(व्यवधान) यह ठीक है कि एसयूवी की जो कीमतें हैं, जीएसटी रोलर होने के बाद एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक कमी हुई है, मगर उनकी कीमतें बढ़ीं।...(व्यवधान) इसके बावजूद स्टेट्स को काम्पन्सेट करने के लिए 15 परसेंट से लेकर 25 परसेंट इन्क्रीज करना, यह अच्छी बात है।...(व्यवधान) जहाँ तक जीएसटी की बात है, इससे टैक्स चोरी भी रूकी है, व्यापारियों की परेशानी भी रूकी है और एक देश-एक कर प्रणाली लागू हुई है।...(व्यवधान) इसमें मेरा एक सुझाव है कि जैसे इसके चार स्लैब रखे हैं, चार की जगह तीन स्लैब होने चाहिए।...(व्यवधान) जो 28 परसेंट वाला स्लैब है, वह ज्यादा है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है, हमारी माननीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी बैठी हैं, इन्होंने भी पत्र लिखा था।...(व्यवधान) हम गुरुद्वारों में फ्री लंगर देते हैं, वह एग्जेम्प्ट होना चाहिए।...(व्यवधान)

दूसरा, एग्रीकल्चर में होना चाहिए।...(व्यवधान) जहाँ रिफंड करते हैं, उसका सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा कर दे, स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा कर दे।...(व्यवधान) ऐसे ही एग्रीकल्चर इक्विप्मेंट्स बहुत ही महंगे हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए।...(व्यवधान) ये मेरे दो निवेदन हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जेम्प्शन जरूर होनी चाहिए।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जो फायदा भी ले रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमारे पंजाब के एक मंत्री ने जीएसटी के विरोध में अमृतसर में प्रदर्शन किया।...(व्यवधान) ऐसे मंत्रियों को मंत्रीशिप से निकालने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।...(व्यवधान)

SHRI C.N.JAYADEVAN (THRISSUR): Madam, Speaker, it is difficult to speak when my colleagues are in the well of the House.

However, the Goods and Services (Amendment) Bill has been brought to replace the Ordinance promulgated by the hon. President on September 2, 2017 for the same purpose. The Communist Party of India has always been against the practice of promulgation of Ordinances.

But I support the purpose of the Bill as it is beneficial to the States.

Sir, when the GST was introduced in July this year, the main reason for opposing it was that this is being introduced without doing proper homework for effective implementation which has resulted in utter confusion and problems in the country

The GST has dealt a death blow to SMEs and micro business units in the country. More than 2.24 lakh companies have shut their shutters down resulting in joblessness. There has been a sharp fall in exports of items such as readymade garments, gems and jewellery and leather products because the implementation of GST has squeezed the working capital of exporters. It is reported that Rs. 50,000 crore worth of GST refunds of exporters for four months from July are stuck, impacting working capital and outbound shipments. The duty drawback for cotton T-shirts was reduced from 7.7 per cent to 2 per cent with the ceiling per piece being brought down from Rs. 36 to Rs. 9 with effect form 1st October. The readymade garment export plunged by 40.7 per cent on year-on-year basis due to delay in getting GST refunds and reduction in duty drawbacks rate under the new regime. The check posts at the State borders were removed immediately after the GST was introduced but the arrangements for e-way bill etc., was not done resulting in large scale Duty evasion.

The decision of the GST Council on 10th November, 2017 to slash the rates across the board was an exercise being done eyeing the Gujarat Assembly elections. This was the third time the GST slabs were amended in the last few

months. Even now, there is a huge variation between the input tax rate and the output tax rate affecting the small industrial units all over the country. So, there is scope for further reviewing the tax rates for different commodities.

I hope the Government will consider this demand.

With these words, I conclude my speech.

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) यह जी.एस.टी. का महत्वपूर्ण बिल है और इस पर डिबेट चल रही है,...(व्यवधान) लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब में जो लोग जी.एस.टी. का विरोध करते हैं और पंजाब में प्रदर्शन करते हैं।...(व्यवधान) इसने कर से डूबे पंजाब की कमर पहले ही तोड़ दी है, ...(व्यवधान) कांग्रेस वाले आज यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, वे नारे लगा रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।...(व्यवधान)

मैडम, इम्प्लिमेंटेशन इतनी खराब थी, हालांकि जी.एस.टी. का पर्पस बहुत अच्छा था और हमने इसे सपोर्ट भी किया था।...(व्यवधान) लेकिन इम्प्लिमेंटेशन इतनी खराब थी और जल्दबाजी में की गई कि जब तक व्यापारी को समझ आया, तब तक उसकी कमर टूट चुकी थी।...(व्यवधान) इसमें हमारे सहयोगी श्री निशिकान्त दुबे जी ने कहा कि इतनी चेंज़ेज़ हो गई हैं, जल्दबाजी में लाया गया है।...(व्यवधान) उस पर बह्त अच्छे से डिस्कशन हो सकता था और राय ली जा सकती थी।...(व्यवधान) अगर विदेशों के साथ कम्पेयर करें तो वहाँ एक स्लैब है, कहीं 22 पर्सेंट है, 20 पर्सेंट है, 15 पर्सेंट है, लेकिन यहाँ चार स्लैब्स हैं...(व्यवधान) 12 पर्सेंट है, 18 पर्सेंट है, 28 पर्सेंट है।...(व्यवधान) इससे व्यापारी बहुत कन्फयूज़न में हैं, छोटे द्कानदार कन्फयूज़न में है कि उनका आइटम कौन-से स्लैब में है, उनका प्रोडक्ट कौन-से स्लैब में आता हैं। ... (व्यवधान) इसको भी चेंज करना होगा। हमारा 90 पर्सेंट अन-आर्गनाइज़ड व्यापार है, सिर्फ 10 पर्सेंट व्यापारी व उद्योगपतियों के लिए कानून बनते हैं, जो 90 पर्सेंट हैं, उनको आज तक यह समझ में नहीं आया है। ...(व्यवधान) हमारे पंजाब में कपड़ों के मामले में अमृतसर में भारी विरोध हुआ, हौज़री का बिज़नेस भी लुधियाना में बैडली डैमेज़ हुआ, साइकिल का बिज़नेस भी बैडली डैमेज़ हुआ।...(व्यवधान) हमारा जो स्टेट है, वह ऑलरेडी दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज़ में डूबा हुआ है।...(व्यवधान) उस पर जी.एस.टी. की मार आ गई, लोगों पर महंगाई की मार आ गई,...(व्यवधान) लोगों की जॉब जा रही है, लोगों की नौकरियाँ छूट रही है।...(व्यवधान) वहाँ ऑलरेडी बेरोज़गारी थी, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से माँग करूँगा कि इसकी इम्प्लिमेंटेशन को ठीक करें और पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज़ एनाउंस करें ताकि पंजाब दोबारा वही रंगला पंजाब, वही ग्लोरी पंजाब अपनी वापस ले आ सकें।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): अध्यक्ष महोदया, आज एक बड़े अहम विषय, जीएसटी पर यहां चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान) आज पूरा देश जीएसटी को बड़े गम्भीर तौर से समझने का प्रयास कर रहा है। हम इस सदन में बैठे हैं। हम संविधान की चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) सत्तर साल में हमारे संविधान के अन्दर 101 अमेंडमेंट्स आए, मगर जीएसटी ऐसा है, जिसमें 7 महीने में 250 से ऊपर अमेंडमेंट्स लाने का काम सरकार ने किया। ...(व्यवधान) मैं तो इतना बोलूंगा, मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। ...(व्यवधान) जीएसटी को कांग्रेस कुछ नाम करती है और आम आदमी यही कहता है कि घना सारा टैक्स लगाने का काम सरकार ने कर दिया।

आज स्पोर्ट्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि ओलम्पिक्स भी आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ भी आ रहे हैं। आज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कहीं क्रिकेट के बैट पर तो 5 पर्सेंट टैक्स है और रेसलिंग की मैट हो, टेबल टेनिस का रैकेट हो, तो आपकी सरकार ने 28 पर्सेंट टैक्स लगाने का काम किया है। ... (व्यवधान) मेरा यह आग्रह है कि सरकार ऐटलीस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर एक कांस्टेन्ट टैक्स लगाए, जिससे आम आदमी को बराबर प्राइस पर स्पोर्ट्स के हर प्रकार के इक्विपमेंटस मिलें।

महोदया, एक बड़ी गम्भीर चीज जीएसटी काउंसिल के सामने भी आ चुकी है कि इनवाइस मैचिंग नहीं हो रही है। इनवाइस मैचिंग की वजह से एवरेज 6-6 महीनों में लोगों का जीएसटी रिफंड जा रहा है। एक व्यापारी जो आज 28 पर्सेंट के स्लैब में टैक्स भरता है और वह अपने रिफंड की वेट करता है, तो 6 महीने में उसको 3 गुना टैक्स पड़ जाता है। ...(व्यवधान) जितना उसका कैपिटल है, उतना उसका टैक्स सरकार के पास रूका हुआ है, तो सरकार को कहीं न कहीं एक स्पेशल इनीशिएटिव लेना पड़ेगा कि उन व्यापारियों को पूरे तौर पर बराबरी से ऑन टाइम रिफंड मिल जाए, जिसके कारण इनवाइस मैचिंग के चक्कर में उनके बिजनेसेज बर्बाद होने का काम न करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक आखिरी चीज सदन में रखना चाहूंगा। ट्रैक्टर की बात पहले भी मैंने उठाई थी।...(व्यवधान) आज एक चीज देखने की है कि ट्रैक्टर का जो टायर है, उसके ऊपर सरकार 28 पर्सेंट टैक्स लगाती है। ...(व्यवधान) ट्रैक्टर के अन्दर जो पार्ट्स डलते हैं, उन पर 18 पर्सेंट टैक्स लगाती है और ट्रैक्टर के साथ जुड़ने वाले इंप्लीमेंट्स हैं, उन पर 12 पर्सेंट टैक्स लगाकर किसान को पूरी तौर पर तोड़ने का काम करती है।...(व्यवधान) मैं यह आग्रह करता हूं कि अगर सरकार को टैक्स लगाना है, तो ऐटलीस्ट एग्रीकल्चर यूज के अन्दर आने वाली प्रत्येक चीज पर मिनिमम जो सरकार का स्लैब है, 5 पर्सेंट टैक्स उस पर लगाये, नहीं तो किसान के ट्रैक्टर को ऋण मुक्त करने का काम करे। उसे टैक्स से मुक्ति दिलाने का काम करे।...(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

SHRI VELAGAPALLI VARAPRASAD RAO (TIRUPATI): Madam Speaker, thank you very much. I may kindly be permitted to speak from this seat.

HON. SPEAKER: All right.

SHRI VELAGAPALLI VARAPRASAD RAO: We appreciate the very concept of 'One Nation One Tax'. But we have a fear that it has been implemented without any proper research. Therefore, the small entrepreneurs and small restaurants are getting severely affected by the GST. I am also of the opinion that a single slab system may be introduced in the GST, if it is possible so that the filing of returns would be much easier. But, for the luxury items, luxury cess could be imposed.

There are a lot of handloom making areas, like Venkatagiri, Kalahasti, Sachavedu, Vardayapalan, Sulurpet, Naidupet, Gudur and Cheerala. A lot of people are dependent upon the handloom for their livelihood. Therefore, we are of the strong opinion that the GST on handlooms should be abolished once and for all. Perhaps, on the powerloom also the GST could be reduced.

Since there is a lot of confusion in filing of returns, the small entrepreneurs are getting affected. Therefore, the Government could think of giving assistance to file the returns, particularly to the small entrepreneurs.

With regard to today's issue, I also very strongly condemn the statements made by Shri Anant Kumar Hegde. We strongly condemn that.

HON. SPEAKER: That is not related to the GST.

SHRI VELAGAPALLI VARAPRASAD RAO: Thank you for this opportunity. Thank you very much.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदया, आपने जीएसटी पर बोलने का मुझे मौका दिया, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हाउस आर्डर में नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं है, तो क्या करें?

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: यह बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस आर्डर में नहीं है। ...(व्यवधान)

जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, नुकसान किया है, इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, इससे गरीबों, वंचितों और आम-अवाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।...(व्यवधान) नोटबंदी और जीएसटी से भी नुकसान हुआ है।...(व्यवधान) मधुमक्खी फूल से रस लेती हैं और मधु बनाती हैं, लेकिन यह हाथी का सूंड बन गया है, आज स्थिति बहुत ही बदतर है। ...(व्यवधान) इसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है।...(व्यवधान) आदरणीय मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी उस समय मिला-जुला कर जीएसटी लाए थे, वह सही था। आप जीएसटी के मेकर नहीं हैं, बल्कि जीएसटी के ब्रेकर हैं। एक टैक्स और इसका सरलीकरण करना चाहिए था, लेकिन इसका सरलीकरण नहीं हुआ है। दुनिया में कहीं भी 28 प्रतिशत टैक्स नहीं है, लेकिन आपने 28 प्रतिशत टैक्स लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, गरीबों को चौपट किया है।...(व्यवधान) उपभोक्ता को किटनाई हुई है। नोटबंदी गरीब विरोधी, कोई रोते-रोते मरता है और कोई खाते-खाते मरता है। उद्योगपितयों को आपने माफ किया और गरीबों को साफ किया। देश का विकास रुका है। वर्ष 2019 में आप साफ हो जाइएगा। आपका झंडा गुजरात में झुक गया है। अच्छे दिन खत्म हो गये हैं। खुदरा व्यापारी रो रहे हैं। ...(व्यवधान) बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, with severe pain I would like to submit that I am not in a position to participate in the discussion on this Bill. This is really a very important Bill relating to both the States and the Centre. But the Government has to take the initiative to discuss this type of Bill in a congenial atmosphere. The Opposition is ready to cooperate with the Government. So the Government should agree to adjourn the House so that we can discuss this Bill tomorrow. With these words, I would like to submit that I am not interested to speak on this Bill now.

HON. SPEAKER: You do not want to speak on the Bill. Okay.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, जीएसटी संशोधन विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जीएसटी लागू होने के उपरांत मोटर वाहन पर जीएसटी पूर्व कर की तुलना में कम हो गया है, ...(व्यवधान) इससे राज्यों को हानि हो रही है। इसकी भरपाई के लिए शीर्ष 8702 और 8703 के अंतर्गत मोटर वाहनों पर लगने वाली सैस दर में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह सरकार का अच्छा कदम है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। छोटी गाड़ियों और आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मात्र कुछ लग्ज़री गाड़ियों पर कर का बोझ बढ़ेगा। ...(व्यवधान) जीएसटी राज्यों को मुआवजा संशोधन अध्यादेश 2017 का स्थान लेगा, ताकि मोटर वाहनों पर जीएसटी मुआवजा सैस की दर 15 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत की जा सके। ...(व्यवधान) बिहार एक उपभोक्तावादी राज्य है और बिहार के विभाजन के पश्चात बिहार के पास राजस्व की कमी हो रही है। आज की तारीख में बिहार में न कोई उद्योग है, न खनिज पदार्थ हैं, ...(व्यवधान) इसलिए जीएसटी के माध्यम से बिहार को और अधिक राजस्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ठोस क़दम उठाया है। ...(व्यवधान) हालांकि इससे राजस्व में छह हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, परन्तु फिर भी बिहार ने अपने सीमित संसाधनों के माध्यमों से असीमित विकास का प्रयास किया है। ...(व्यवधान) यदि इस दिशा में केंद्र सरकार अतिरिक्त राजस्व देने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से बिहार की गति और तेज हो जाएगी।

वित्त मंत्री तथा कॉपॉरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखे हैं। 1 जुलाई से जीएसटी इस देश में लागू हुआ था और लागू होने के बाद हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में उसकी प्रक्रिया और रेट्स का रेशनलाइजेशन होता है।...(व्यवधान) यह जो टिप्पणी की गई कि आप रेट्स का परिवर्तन करते हैं, यह स्वाभाविक है कि जैसे-जैसे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है, रेट्स का रेशनलाइजेशन होगा। जितनी भी राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सबके मंत्री इकट्ठे बैठकर करते हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please, let the hon. Minister speak.

... (Interruptions)

श्री अरुण जेटली: जहां तक इस बिल का सवाल है, इस बिल का सीमित उद्देश्य है कि राज्यों को 14 परसेंट की वृद्धि के साथ टैक्स गारंटिड है, क्योंकि राज्यों को गारंटिड है इसिलए टैक्स की सीमा है जो हर राज्य को मिलनी है, इसके लिए कम्पेनसेशन सैस लगाया गया है।...(व्यवधान) इस कम्पेनसेशन सैस की संख्या बढ़ाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स के जीएसटी के बाद दाम कम हुए थे, उसे बराबर करने के लिए सैस की सीमा 15 से 25 की गई है क्योंकि शैड्यूल के अंदर एक एंट्री है।...(व्यवधान)

में माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सीमा बढ़ाने का समर्थन करें क्योंकि यह राज्य के अधिकारों का विषय है।

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House disapproves of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 5 of 2017) promulgated by the President on 2 September, 2017."

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will, now, take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may, now, move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, 28th December, 2017 at 11 a.m.

17.38 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on December, 28, 2017/Pausha 07, 1939 (Saka).